بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

साप्ताहिक क़ादियान

बदर

Weekly BADAR Qadian HINDI

संपादक
शेख मुजाहिदअहमद

उप संपादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद

वर्ष- 11
अंक -26

Postal Reg. No.GDP -45/2026-2028

9 मोहर्रम 1447 हिज्री कमरी, 25 अहसान 1405 हिज्री शम्सी, 25 जून 2026 ई.

अल्लाह तआला का आदेश

تِلۡکَ اٰیٰتُ اللّٰہِ نَتۡلُوۡھَا عَلَیۡکَ بِالۡحَقِّ ۚ فَبِاَیِّ حَدِیۡثٍۭ بَعۡدَ اللّٰہِ وَاٰیٰتِہٖ یُؤۡمِنُوۡنَ ۔ (الجاثیۃ:٧)

अनुवाद : यह खुदा तआला की आयतें हैं जिन्हें हम तेरे सामने सत्य के साथ पढ़कर सुनाते हैं। फिर खुदा तआला और उसकी आयतों के बाद वे और किस बात पर विश्वास करेंगे?

وَمَاۤ اٰتٰکُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡہُ ٭ وَمَا نَھٰکُمۡ عَنۡہُ فَانۡتَھُوۡا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰہَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ۘ (الحشر:٨)

अनुवाद : और रसूल जो तुम्हें प्रदान करें उसे ग्रहण कर लो, और जिससे वे तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। तथा खुदा तआला का तक़वा अपनाओ। निश्चय ही खुदा तआला दण्ड देने में बहुत कठोर है।

मुकदमों के निर्णय के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की वाणी

أَنَّ رَسُوۡلَ اللّٰہِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنۡ یَبۡعَثَ مُعَاذًا إِلَی الۡیَمَنِ قَالَ کَیۡفَ تَقۡضِیۡ إِذَا عَرَضَ لَکَ قَضَاءٌ ۔ قَالَ أَقۡضِیۡ بِکِتَابِ اللّٰہِ قَالَ فَإِنۡ لَمۡ تَجِدۡ فِیۡ کِتَابِ اللّٰہِ قَالَ فَبِسُنَّۃِ رَسُوۡلِ اللّٰہِ ﷺ قَالَ فَإِنۡ لَمۡ تَجِدۡ فِیۡ سُنَّۃِ رَسُوۡلِ اللّٰہِ قَالَ أَجۡتَہِدُ بِرَأۡیِیۡ وَلَا اٰلُوۡ فَضَرَبَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ ﷺ صَدۡرَہٗ فَقَالَ الۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ وَفَّقَ رَسُوۡلَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ ﷺ لِمَا یَرۡضٰی رَسُوۡلُ اللّٰہِ ۔ (ابوداؤد کتاب القضاء باب اجتہاد الرای فی القضاء)

जब नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हो को यमन भेजने का इरादा किया, तो उनसे पूछा कि जब तुम्हारे सामने कोई मुकदमा प्रस्तुत होगा तो तुम उसका निर्णय कैसे करोगे?

उन्होंने कहा, "खुदा तआला की पुस्तक के अनुसार।"

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहोअलैहि वसल्लम ने पूछा, "यदि तुम्हें खुदा तआला की पुस्तक में उसका उल्लेख न मिले तो फिर क्या करोगे?"

उन्होंने कहा, "तब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहोअलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार निर्णय करूँगा।"

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहोअलैहि वसल्लम ने पूछा, "यदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहोअलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी मार्गदर्शन न मिले तो?"

उन्होंने कहा, "तब मैं अपनी समझ के अनुसार विचार और विवेचन करूँगा तथा उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं करूँगा।"

यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहोअलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर प्रेमपूर्वक हाथ रखा और फरमाया, "सारी प्रशंसा खुदा तआला के लिए है, जिसने अपने रसूल के प्रतिनिधि को ऐसी समझ प्रदान की जिससे खुदा तआला का रसूल प्रसन्न हो गया।"

शेष 11पर

जमाअत अहमदिया के निकट कुरआन-ए-करीम, सुन्नत और हदीस का स्थान

हज़रत अकदस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उपदेश

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"और सिराते मुस्तक़ीम, जिसे प्रकट करने के लिए मैंने यह विषय लिखा है, यह है कि मुसलमानों के हाथ में इस्लामी शिक्षाओं पर स्थापित रहने के लिए तीन चीज़ें हैं:

(1) क़ुरआन-ए-करीम, जो किताबुल्लाह है। हमारे हाथ में इससे बढ़कर कोई निश्चित और अटल वाणी नहीं है। वह खुदा तआला का कलाम है। वह संदेह और अनुमान की सभी मिलावटों से पाक है।

(2) दूसरी सुन्नत। और यहाँ हम अहले-हदीस की पारिभाषिक भाषा से अलग होकर बात करते हैं। अर्थात हम हदीस और सुन्नत को एक ही चीज़ नहीं मानते, जैसा कि सामान्य मुहद्दिसों का तरीका है, बल्कि हदीस अलग चीज़ है और सुन्नत अलग चीज़।

सुन्नत से हमारा अभिप्राय केवल आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का वह व्यावहारिक तरीका है, जो अपने भीतर निरंतरता रखता है और जो प्रारम्भ से ही क़ुरआन-ए-करीम के साथ प्रकट हुआ तथा सदैव उसके साथ रहेगा। या दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि क़ुरआन-ए-करीम खुदा तआला का कथन है और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहोअलैहि वसल्लम का कर्म है।

शेष 11पर

सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहोअलैहि वसल्लम का वह अमल है जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम स्वयं कायम रहे और दूसरों को उसकी प्रेरणा दी, तथा हदीस वह कथन है जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने बयान किया।

दीबाचा तफ़्सीरुल क़ुरआन

सैय्यदना हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, सैय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की विद्वत्तापूर्ण सेवाओं का वर्णन करते हुए फ़रमाते हैं:

"दसवाँ कार्य हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि आपने फ़िक़्ह (धार्मिक विधिशास्त्र) का सुधार किया, जिसमें बहुत सी खराबियाँ उत्पन्न हो गई थीं और इतना अधिक मतभेद हो रहा था कि उसकी कोई सीमा नहीं रही थी। आपने इसके सम्बन्ध में एक स्वर्णिम सिद्धांत स्थापित किया और फ़रमाया कि शरीअत की नींव निम्नलिखित बातों पर है—

(1) क़ुरआन-ए-करीम
(2) सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम
(3) वे अहादीस जो क़ुरआन-ए-करीम, सुन्नत और बुद्धि के विरुद्ध न हों
(4) दीन की गहरी समझ (तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन)
(5) स्वभावों और परिस्थितियों का भिन्न होना

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह एक महान कार्य है कि आपने सुन्नत और हदीस को अलग-अलग कर दिया। आपने फ़रमाया कि सुन्नत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहोअलैहि वसल्लम का वह अमल है जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम

शेष 11पर

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दो लिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण आप पर अपना फ़ज़ल नाज़िल करता रहे। आमीन

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

अहले-क़ुरआन और अहले-हदीस के मतभेद
और
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का हैसियत-ए-हकम व अद्ल ईमान-अफरोज़ निर्णय

इन दिनों सऊदी अरब के संदर्भ में सोशल मीडिया पर यह ख़बरें बहुत फैल रही हैं कि सऊदी अरब ने कानून निर्माण के संबंध में "मुतवातिर" अहादीस के अतिरिक्त बाकी सभी अहादीस पर अमल को संदिग्ध मानते हुए अस्वीकार कर दिया है। कुछ मुस्लिम मुल्ला या उनके समर्थक, जो सोशल मीडिया पर दिन-रात मुस्लिम जनता की भावनाओं को भड़काने और सस्ती प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसी ख़बरें फैलाते रहते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वास्तविकता यह है कि कुछ वर्ष पहले सऊदी सरकार ने अपने देश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बेहतर बनाने के लिए "विज़न 2030" के नाम से एक योजना बनाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वे कौन-से साधन हैं जिनके माध्यम से सऊदी अरब को तेल से होने वाली आय के अतिरिक्त भी मजबूत आर्थिक आधारों पर खड़ा किया जा सकता है। इसमें पर्यटन, तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, आधुनिक नगरों का निर्माण, मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और उनकी स्वतंत्रता की दिशा में कदम आदि शामिल थे।

इन्हीं में कुछ धार्मिक सुधार भी सम्मिलित हैं, जिनमें एक यह भी है कि कानून निर्माण में क़ुरआन-ए-करीम के साथ-साथ मुतवातिर अहादीस से भी सहायता ली जाए तथा हदीस-ए-आहाद और हदीस-ए-ख़बर को उससे निम्न स्तर पर रखा जाए।

सऊदी अरब की सरकार ने इस संबंध में क्या बयान दिया और किसी भी बात को बढ़ा-चढ़ाकर सस्ती प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले मुल्ला इस विषय में क्या कहते हैं, इन सब बातों को छोड़कर हम यह प्रस्तुत करते हैं कि ज़माने के मामूर, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद और महदी माहूद अलैहिस्सलाम ने क़ुरआन-ए-करीम, सुन्नत और अहादीस के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करने के विषय में क्या शिक्षा प्रदान की है। हम यह भी निवेदन करते हैं कि उम्मत को जहाँ-जहाँ भी ठोकर लगी है और जहाँ-जहाँ भी उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई है, वहाँ-वहाँ आपने बि-इज़्निल्लाह मार्गदर्शन प्रदान किया है।

आपके जीवनकाल में अहले-क़ुरआन नामक फ़िरक़ा अस्तित्व में आ चुका था, जिसके संस्थापक उन दिनों अब्दुल्लाह चकड़ालवी साहब और ग़ुलाम अहमद परवेज़ी साहब थे। इन सज्जनों के अहले-हदीस उलेमा के साथ समय-समय पर वाद-विवाद होते रहते थे।

इन्हीं में से एक वाद-विवाद 1902 ईस्वी में अब्दुल्लाह चकड़ालवी साहब और मुहम्मद हुसैन बटालवी साहब के मध्य हुआ। अब्दुल्लाह साहब अहले-क़ुरआन थे और मुहम्मद हुसैन बटालवी साहब अहले-हदीस थे। अब्दुल्लाह चकड़ालवी साहब और उनके समर्थक केवल क़ुरआन-ए-करीम को मानते थे और अहादीस को अमल के योग्य नहीं समझते थे, जबकि मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी साहब का विश्वास यह था कि अहादीस, अल्लाह की किताब क़ुरआन पर क़ाज़ी (निर्णायक) हैं।

दोनों पक्ष अति और न्यूनता की राह पर चले गए थे। इस वाद-विवाद पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक समीक्षा लिखी थी, जो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 19 में "रिव्यू बर मुबाहिसा बटालवी व चकड़ालवी" के नाम से उपलब्ध है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसमें दोनों पक्षों को क़ुरआन-ए-करीम और अहादीस की महान शिक्षाओं के संदर्भ में जो मार्गदर्शन प्रदान किया है, वह नीचे प्रस्तुत किया जाता है। मुस्लिम उलेमा और उनकी सरकारों के लिए यह मार्गदर्शन अनुकरणीय है।

आपने फ़रमाया:

"तीन चीज़ें हैं जो ख़ुदा तआला ने तुम्हारी हिदायत के लिए तुम्हें दी हैं।

पहली क़ुरआन है।

दूसरा मार्गदर्शन का साधन सुन्नत है, अर्थात वे पवित्र नमूने जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपने कर्म और व्यवहार द्वारा दिखाए। उदाहरण के लिए, नमाज़ पढ़कर दिखाया कि नमाज़ इस प्रकार होनी चाहिए और रोज़ा रखकर दिखाया कि रोज़ा इस प्रकार होना चाहिए। इसी का नाम सुन्नत है, अर्थात नबवी आचरण, जो ख़ुदा तआला के कथन को कर्म के रूप में प्रदर्शित करता रहा। यही सुन्नत कहलाती है।

तीसरा मार्गदर्शन का साधन हदीस है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बाद आपके कथनों को एकत्र किया गया। हदीस का दर्जा क़ुरआन और सुन्नत से कम है, क्योंकि अधिकांश हदीसें अनुमान पर आधारित हैं। लेकिन यदि उनके साथ सुन्नत भी हो तो वह उन्हें निश्चित बना देती है।"

(कश्ती नूह, पृष्ठ 33-34, मुद्रित नज़ारत नश्रो-इशाअत, क़ादियान, 2018)

इस मार्गदर्शन के संदर्भ में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उक्त दोनों विद्वानों के वाद-विवाद पर जो समीक्षा लिखी, उसमें आपने फ़रमाया:

"वास्तविक बात यह है कि इन दोनों पक्षों में से एक ने अति की राह अपनाई है और दूसरे ने न्यूनता की। पहला पक्ष अर्थात मुहम्मद हुसैन साहब, यद्यपि इस बात में सत्य पर हैं कि मर्फ़ूअ मुत्तसिल अहादीस ऐसी चीज़ नहीं हैं कि उन्हें व्यर्थ और निरर्थक समझ लिया जाए, लेकिन वे मरातिब के संरक्षण के नियम को भुलाकर अहादीस के दर्जे को उस ऊँचे मीनार पर चढ़ा देते हैं जिससे क़ुरआन-ए-करीम का अपमान आवश्यक हो जाता है और उसका इंकार करना पड़ता है। यह स्पष्ट भूल है और न्याय के मार्ग से हटना है।

अल्लाह जल्ला शानहु क़ुरआन-ए-करीम में फ़रमाता है:

فَبِاَیِّ حدیثٍ بعد اللہ و اٰیاتہٖ یُومنون

अर्थात, अल्लाह और उसकी आयतों के बाद वे किस हदीस पर ईमान लाएँगे?

और इनके विरोधी मौलवी अब्दुल्लाह साहब ने न्यूनता की राह अपनाई है, जिन्होंने मूल रूप से ही अहादीस का इंकार कर दिया है। जबकि अहादीस का इंकार एक प्रकार से क़ुरआन-ए-करीम का भी इंकार है, क्योंकि ख़ुदा तआला क़ुरआन-ए-करीम में फ़रमाता है:

قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡکُمُ اللّٰہُ

अर्थात, कह दो कि यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा।

अतः जब ख़ुदा तआला का प्रेम आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के प्रेम से जुड़ा हुआ है और हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के व्यावहारिक नमूनों को जानने के लिए, जिन पर अनुसरण निर्भर है, हदीस भी एक साधन है, तो जो व्यक्ति हदीस को छोड़ देता है, वह अनुसरण के मार्ग को भी छोड़ देता है।"

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अन्य मुहद्दिसों और उनके आलोचकों की पद्धति से हटकर हदीस को परखने का यह सिद्धांत बताया कि जो हदीस क़ुरआन-ए-करीम की शिक्षा के अनुरूप हो, उसे चाहे वह कितनी ही कमज़ोर क्यों न हो, स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि कोई हदीस कितनी ही प्रामाणिक और मुतवातिर क्यों न हो, लेकिन वह क़ुरआन-ए-करीम की स्पष्ट शिक्षा के विरुद्ध हो, तो पहले उसके सामंजस्य की कोशिश करनी चाहिए। किन्तु यदि किसी प्रकार विरोध दूर न हो सके, तो ऐसी हदीस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ओर से नहीं है।

इसके अतिरिक्त आपने फ़रमाया कि यदि कोई हदीस ऐसी है जिसमें कोई भविष्यवाणी वर्णित है और मुहद्दिसों के निकट वह कमज़ोर मानी जाती है, किन्तु किसी समय वह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो जाए, तो उस हदीस को भी सत्य मानो और उन मुहद्दिसों तथा रावियों को त्रुटिपूर्ण समझो जिन्होंने उस हदीस को कमज़ोर या मनगढ़ंत कहा हो।

ऐसी सैकड़ों हदीसें हैं जिनमें भविष्यवाणियाँ वर्णित हैं और उनमें से अधिकांश मुहद्दिसों के निकट कमज़ोर, दोषयुक्त या मनगढ़ंत मानी जाती हैं। अतः यदि उनमें से कोई हदीस पूरी हो जाए और तुम यह कहकर उसे टाल दो कि हम इसे नहीं मानते क्योंकि यह कमज़ोर हदीस है या इसका कोई रावी धार्मिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा स्वयं का ईमान दोषपूर्ण होगा, क्योंकि तुम ऐसी हदीस को अस्वीकार कर रहे हो जिसकी सत्यता ख़ुदा तआला ने स्वयं प्रकट कर दी है।

(कश्ती नूह की इबारत का सार)

अतः अहादीस को परखने के संबंध में ये वे दृढ़ सिद्धांत हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने प्रस्तुत किए हैं। और चूँकि इस युग में आप ख़ुदा तआला की ओर से हकम व अद्ल के रूप में आए हैं, इसलिए आपके प्रस्तुत किए हुए सभी ईश्वरीय निर्णयों को स्वीकार करके ही हम इस्लाम की मजबूती और उसके अस्तित्व की सुरक्षा के साधन बन सकते हैं।

इसलिए आवश्यक है कि अहादीस को परखने और उन पर अमल करने के संबंध में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की उपर्युक्त मार्गदर्शना का अनुसरण किया जाए।

★ ★ ★

ख़ुत्बः जुमअः

"उस समय मेरे हृदय पर जो प्रभाव पड़ा, वह यही था कि यह व्यक्ति सच्चा है और जो कुछ कहता है, सत्य कहता है। और अल्लाह तआला की ओर से मेरे हृदय में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के प्रति ऐसी प्रेमभावना डाल दी गई कि वही मेरे लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सत्यता का मूल प्रमाण है। यद्यपि उस समय मैं एक बच्चा ही था, लेकिन उस समय से लेकर आज तक मुझे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी।"

(हज़रत चौधरी मुहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत)

"याद रखो, जब सत्य पूर्ण रूप से अपना प्रभाव उत्पन्न कर लेता है, तो वह एक प्रकाश बन जाता है, जो हर अंधकार में उसे अपनाने वाले के लिए मार्गदर्शक होता है और हर कठिनाई से उसे बचाता है।"

(हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम)

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मौ'मेनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 08 मई 2026 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सीरत का वर्णन करते हुए मैंने आपकी सत्यता के मानदण्डों के कुछ संदर्भ और कुछ घटनाएँ पहले भी प्रस्तुत की थीं।

आज भी कुछ घटनाएँ प्रस्तुत करूँगा।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क की ओर से एक मुकदमा दायर किया गया था, और वह हत्या के प्रयास का मुकदमा था।

यह अत्यन्त गंभीर और खतरनाक मुकदमा था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि हेनरी मार्टिन क्लार्क का यह मुकदमा इतना खतरनाक था कि उसमें फाँसी की सज़ा भी हो सकती थी।

उदाहरण देते हुए आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यहूदियों द्वारा रोमी अदालत में चलाए गए मुकदमे का उल्लेख किया और फ़रमाया कि इसी प्रकार का एक मुकदमा मुझ पर भी चलाया गया था। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के विरुद्ध तो यहूदियों ने मुकदमा किया था, किन्तु इस शासन में मेरे विरुद्ध मुकदमा करने वाला एक सम्मानित पादरी और डॉक्टर था, अर्थात डॉक्टर मार्टिन क्लार्क। उसने मुझ पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया और उसके समर्थन में पूरी गवाही एकत्र की।

यहाँ तक कि मौलवी अबू सईद मुहम्मद हुसैन बटालवी, जो इस सिलसिले का अत्यन्त कट्टर विरोधी और शत्रु था, वह भी गवाही देने के लिए अदालत में आया और जहाँ तक उससे हो सका, उसने मेरे विरुद्ध गवाही दी तथा पूरे मुकदमे को मेरे विरुद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया।

यह मुकदमा गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन डगलस की अदालत में था। सम्भवतः उस समय उनकी बदली शिमला हो चुकी थी। बहरहाल, उनके समक्ष मुकदमा पूरी तरह तैयार कर दिया गया। सभी गवाहियाँ मेरे विरुद्ध बड़े ज़ोर-शोर से प्रस्तुत की गईं।

आप फ़रमाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी बुद्धिमान विधिवेत्ता यह नहीं कह सकता था कि मैं बरी हो जाऊँगा। समय की परिस्थितियाँ और मुकदमे की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि मुझे सेशन कोर्ट भेज दिया जाता और वहाँ से या तो फाँसी का आदेश मिलता या "उबूर-ए-दरियाए-शोर" की सज़ा दी जाती, अर्थात आजीवन कारावास की सज़ा।

किन्तु ख़ुदा तआला ने जिस प्रकार मुकदमे से पहले मुझे सूचना दे दी थी, उसी प्रकार पहले ही यह भी प्रकट कर दिया था कि मैं इस मुकदमे में बरी हो जाऊँगा। यह भविष्यवाणी मेरी जमाअत के एक बड़े समूह को ज्ञात थी।

संक्षेप में, जब मुकदमा इस अवस्था तक पहुँच गया और शत्रुओं तथा विरोधियों को यह विश्वास हो गया कि अब मजिस्ट्रेट मुझे सेशन कोर्ट भेज देगा, तो उसी समय कैप्टन डगलस ने पुलिस कप्तान से कहा कि मेरे दिल में यह बात आती है कि यह मुकदमा बनावटी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वास्तव में ऐसी कोई कोशिश की गई हो और उन्होंने डॉक्टर क्लार्क की हत्या के लिए किसी व्यक्ति को भेजा हो। आप इसकी फिर से जाँच करें।

अर्थात अल्लाह तआला ने न्यायाधीश के हृदय में यह बात डाल दी कि पुलिस अधिकारी को पुनः जाँच करने के लिए कहा जाए।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि यह वह समय था जब मेरे विरोधी केवल योजनाएँ ही नहीं बना रहे थे, बल्कि वे लोग भी, जो दुआओं की स्वीकृति के दावेदार थे, दुआओं में लगे हुए थे। वे केवल प्रयास ही नहीं कर रहे थे बल्कि रो-रोकर दुआएँ कर रहे थे कि मुझे सज़ा हो जाए।

लेकिन ख़ुदा तआला का मुकाबला कौन कर सकता है?

मुझे मालूम है कि कैप्टन डगलस साहिब के पास कुछ सिफ़ारिशें भी आई थीं, किन्तु वह एक न्यायप्रिय मजिस्ट्रेट था। उसने कहा कि हमसे ऐसी नीचता नहीं हो सकती। अर्थात यदि कोई निर्णय गलत है तो मैं गलत निर्णय नहीं दे सकता।

जब यह मुकदमा पुनः जाँच के लिए कैप्टन लेमार्चन्द के सुपुर्द किया गया, तो उन्होंने अब्दुल हमीद को बुलाया और उससे कहा कि सच-सच बयान करो।

अब्दुल हमीद ने वही कहानी दोहरा दी जो उसने पहले डिप्टी कमिश्नर के सामने प्रस्तुत की थी। उसे पहले ही यह कह दिया गया था कि यदि उसके बयान में थोड़ा-सा भी अंतर हुआ तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह वही बातें दोहराता रहा।

किन्तु कैप्टन साहिब ने उससे कहा कि यह बयान तो तुम पहले भी दे चुके हो। मजिस्ट्रेट को इससे संतोष नहीं है, क्योंकि तुम सत्य नहीं बोल रहे।

जब कैप्टन लेमार्चन्द ने दूसरी बार उससे कहा, तो वह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मुझे बचा लीजिए।

कैप्टन साहिब ने उसे ढाढ़स बँधाया और कहा कि सच्ची बात बयान करो।

तब उसने पूरी वास्तविकता खोल दी और स्पष्ट स्वीकार कर लिया कि मुझसे धमकाकर यह बयान दिलवाया गया था। मुझे हरगिज़, हरगिज़ मिर्ज़ा साहिब ने हत्या करने के लिए नहीं भेजा था।

यह बयान सुनकर कैप्टन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने डिप्टी कमिश्नर को तार भेजा कि हमने मुकदमे की सच्चाई खोज निकाली है।

इसके बाद गुरदासपुर में मुकदमा पुनः पेश हुआ। वहाँ कैप्टन लेमार्चन्द की शपथ दिलाई गई और उन्होंने अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"मैं देखता था कि उस समय अदालत में डिप्टी कमिश्नर वास्तविकता सामने आ जाने के कारण बहुत प्रसन्न था और उन ईसाइयों पर उसे अत्यन्त क्रोध था जिन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाहियाँ दी थीं।

उसने मुझसे कहा कि आप इन ईसाइयों के विरुद्ध मुकदमा कर सकते हैं।

किन्तु चूँकि मैं मुकदमेबाज़ी से घृणा करता हूँ, इसलिए मैंने यही कहा कि मैं मुकदमा नहीं करना चाहता। मेरा मुकदमा तो आकाश में दायर है।"

इसके बाद उसी समय डगलस साहिब ने निर्णय लिख दिया।

उस दिन एक बहुत बड़ा जनसमूह एकत्र था।

निर्णय सुनाते हुए उसने मुझसे कहा:

"आपको मुबारक हो। आप बरी कर दिए गए हैं।"

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"मैं देखता था कि उस समय मेरे शत्रु एक पूरी दुनिया थे। और ऐसा ही होता है कि जब संसार कष्ट देने पर उतर आता है तो चारों ओर से चोट पहुँचती है। केवल खुदा तआला ही होता है जो अपने सच्चे बन्दों को बचा लेता है।

मैं सच्चा था, इसलिए अल्लाह तआला ने मुझे बचाया।"

(माख़ूज़ अज़ लेक्चर लुधियाना, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 20, पृष्ठ 268 से 270)

इसी मुकदमे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सत्यनिष्ठा और उच्च नैतिक चरित्र का वर्णन

इस मुकदमे में उपस्थित होने वाले एक व्यक्ति ने, जो जमाअत से संबंधित नहीं थे और पेशे से वकील थे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सत्यनिष्ठा और उच्च चरित्र का वर्णन किया है। उनका नाम मौलवी फ़ज़ल दीन था। इस घटना को हज़रत शेख याक़ूब अली साहिब इरफ़ानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पुस्तक हयात अहमद में दर्ज किया है।

वे लिखते हैं कि दूसरा महान नैतिक प्रसंग, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सत्यता का समर्थन करता है, इसी मुकदमे में प्रकट हुआ। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आपको सत्य से कितनी गहरी प्रेमभावना थी।

इसका वर्णन स्वर्गीय मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब वकील के शब्दों में सुनिए, जिन्हें मेरे एक सच्चे समकालीन मित्र लाला दीना नाथ, जो देश और हिंदुस्तान नामक दो समाचार-पत्रों के संपादक थे, सुनाया करते थे। वे हिन्दू थे और हज़रत शेख याक़ूब अली साहिब इरफ़ानी रज़ियल्लाहु अन्हु के मित्र थे।

वे कहते हैं कि लाला दीना नाथ साहिब ने कहा:

"क्या आपको मालूम है कि मेरे दिल में मिर्ज़ा साहिब के लिए कितनी महान श्रद्धा है? मैं उनके स्थान और दर्जे को बहुत ऊँचा समझता हूँ। यद्यपि उनके दावों के संबंध में मनोविज्ञान की दृष्टि से मैं यह मानता हूँ कि उन्हें समझने में भूल हुई थी।"

अर्थात वकील साहिब का विचार यह था कि उनके दावे सत्य नहीं थे, किन्तु वे एक नेक मनुष्य अवश्य थे।

वे आगे कहते हैं:

"लेकिन एक महापुरुष और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में वे बहुत ऊँचे दर्जे के इंसान थे। मेरे मन में उनके प्रति यह विश्वास एक विशेष घटना के कारण पैदा हुआ।"

फिर वे वह घटना सुनाते हैं:

"आप हकीम ग़ुलाम नबी ज़ुब्दतुल-हुकमा को जानते हैं और मौलवी फ़ज़लुद्दीन साहिब को भी।"

यह लाला दीना नाथ साहिब का कथन था। अब वे मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब की बात बयान करते हैं।

वे कहते हैं:

"हकीम साहिब के घर पर प्रायः शाम को मित्रों की सभा हुआ करती थी। मैं भी वहाँ चला जाता था। एक दिन वहाँ कुछ मित्र एकत्र थे। संयोग से मिर्ज़ा साहिब का उल्लेख आ गया। एक व्यक्ति ने उनकी आलोचना आरम्भ कर दी, लेकिन ऐसे ढंग से कि वह शिष्टाचार और नैतिकता की सीमाओं से गिरी हुई थी।"

लाला दीना नाथ साहिब कहते हैं कि यह सुनकर मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब को बहुत जोश आ गया और उन्होंने बड़े उत्साह से कहा:

"मैं मिर्ज़ा साहिब का मुरीद नहीं हूँ। उनके दावों पर मेरा विश्वास नहीं है। उसका कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मैं मिर्ज़ा साहिब के महान व्यक्तित्व और नैतिक उत्कृष्टता का प्रशंसक हूँ। मैं वकील हूँ और हर प्रकार के लोग मुकदमों के सिलसिले में मेरे पास आते हैं। और मैंने इस क्षेत्र में हज़ारों लोगों को स्वयं भी देखा है और अन्य वकीलों के माध्यम से भी देखा है।

मैंने बड़े-बड़े नेक और धर्मपरायण लोगों को देखा है, जिनके बारे में कभी यह वहम भी नहीं हो सकता था कि वे दिखावे या कपट का सहारा लेंगे। लेकिन मुकदमों के दौरान यदि उन्होंने किसी कानूनी सलाह के आधार पर अपने बयान को बदलना आवश्यक समझा, तो उन्होंने बिना झिझक उसे बदल दिया।

किन्तु मैंने अपनी पूरी उम्र में केवल मिर्ज़ा साहिब को ही ऐसा व्यक्ति पाया है जिसने सत्य के स्थान से अपना कदम नहीं हटाया।"

वे आगे कहते हैं:

"मैं उनके एक मुकदमे में वकील था।"

(यह वही पादरी हेनरी मार्टिन क्लार्क वाला मुकदमा था।)

"उस मुकदमे में मैंने उनके लिए एक कानूनी बयान तैयार किया और उनकी सेवा में प्रस्तुत किया। उन्होंने उसे पढ़कर कहा:

'इसमें तो झूठ है।'

मैंने कहा:

'मुल्ज़िम का बयान शपथ पर नहीं होता और कानून उसे यह अनुमति देता है कि वह जो चाहे बयान दे।'

इस पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

'कानून ने तो उसे यह अनुमति दे दी है कि वह जो चाहे बयान करे, लेकिन खुदा तआला ने तो उसे यह अनुमति नहीं दी कि वह झूठ भी बोले। और न ही वास्तव में कानून का यह उद्देश्य है। इसलिए मैं कभी ऐसे बयान के लिए तैयार नहीं हो सकता जो वास्तविक घटनाओं के विरुद्ध हो। मैं सही-सही बात ही प्रस्तुत करूँगा।'"

मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब कहते थे:

"मैंने कहा कि आप जान-बूझकर अपने आपको मुसीबत में डाल रहे हैं।"

इस पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

"जान-बूझकर मुसीबत में डालना तो यह है कि मैं कानूनी चालाकी से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने खुदा तआला को नाराज़ कर लूँ। यह मुझसे नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए।"

लाला दीना नाथ साहिब कहते थे कि मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब बताया करते थे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह बातें इतने जोश से कहीं कि आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज़ और गंभीरता दिखाई दे रही थी।

मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब कहते हैं:

"यह सुनकर मैंने कहा:

'आपको मेरी वकालत से कोई लाभ नहीं हो सकता।'

इस पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

'मैंने कभी यह कल्पना भी नहीं की कि आपकी वकालत से मुझे लाभ होगा या किसी अन्य व्यक्ति के प्रयास से लाभ होगा। और न मैं यह समझता हूँ कि किसी की विरोधिता मुझे नष्ट कर सकती है। मेरा भरोसा तो खुदा तआला पर है, जो मेरे दिल को देखता है।

मैंने आपको वकील इसलिए नियुक्त किया है कि साधनों का उपयोग करना शिष्टाचार और व्यवस्था का तरीका है। और चूँकि मैं जानता हूँ कि आप अपने कार्य में ईमानदार हैं, इसलिए मैंने आपको नियुक्त किया है।'

'यह तो केवल एक बाहरी साधन है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरा कोई भरोसा आप पर नहीं है।'"

मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब कहते थे:

"फिर मैंने कहा कि मैं तो यही बयान उचित समझता हूँ।

मिर्ज़ा साहिब ने कहा:

'नहीं! जो बयान मैं स्वयं लिखता हूँ, परिणाम और अंजाम की परवाह किए बिना, वही अदालत में प्रस्तुत कर दो। उसमें एक शब्द भी परिवर्तित न किया जाए।

और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि आपके कानूनी बयान की अपेक्षा वही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। और जिस परिणाम का आपको भय है, वह प्रकट नहीं होगा, बल्कि इन शा अल्लाह अंत शुभ होगा।

और यदि मान भी लिया जाए कि संसार की दृष्टि में परिणाम अच्छा न हो, अर्थात मुझे सज़ा हो जाए, तो भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। क्योंकि उस समय मैं इस बात से प्रसन्न रहूँगा कि मैंने अपने रब की अवज्ञा नहीं की।'"

लाला दीना नाथ साहिब कहते थे कि मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब ने बड़े उत्साह और निष्ठा के साथ इस प्रकार मिर्ज़ा साहिब का बचाव प्रस्तुत किया और कहा कि उन्होंने तत्काल अपना बयान स्वयं लिख दिया।

"और खुदा तआला की अद्भुत शक्ति देखिए कि जैसा वे कहते थे, उसी बयान के आधार पर वे बरी कर दिए गए।"

मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब ने उनकी सत्यनिष्ठा तथा सत्य के लिए हर प्रकार की कठिनाई को स्वीकार कर लेने के साहस और वीरता का ऐसा प्रभावशाली वर्णन किया कि सभा में उपस्थित लोगों पर एक विशेष भावनात्मक प्रभाव छा गया।

जो लोग वहाँ बैठे हुए विरोध कर रहे थे, वे सब चुप हो गए।

इस पर कुछ लोगों ने पूछा:

"फिर आप उनके मुरीद क्यों नहीं बन जाते?"

तो उन्होंने उत्तर दिया:

"यह मेरा व्यक्तिगत मामला है और तुम्हें यह प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। मैं उन्हें एक पूर्ण सत्यनिष्ठ व्यक्ति मानता हूँ और मेरे हृदय में उनके लिए अत्यन्त महान सम्मान है।"

(किताबियात पाकिस्तान के अख़बार व रसाइल 1947 तक, डॉ. अबू सलमान शाहजहाँपुरी, पृष्ठ 120, 236, मुक़्तदरा क़ौमी ज़बान, इस्लामाबाद, 1987)

(अल-हकम, संख्या 41, जिल्द 37, दिनांक 14 नवम्बर 1934, पृष्ठ 3-4)

(हयात अहमद, जिल्द 4, पृष्ठ 566 से 569)

इसी घटना के संबंध में मास्टर नज़ीर हुसैन साहिब की एक रिवायत है। वे कहते हैं कि मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब मरहूम, एडवोकेट हाई कोर्ट को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ गहरी श्रद्धा थी और वे प्रायः हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकदमों में जाया करते थे।

वे कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि वे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को उच्च कोटि का पूर्ण सत्यनिष्ठ व्यक्ति मानते थे। मेरे पूछने पर उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक घटना सुनाई और बताया कि हम एक मुकदमे में गए, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और डिप्टी मार्टिन क्लार्क साहिब के बीच चल रहा था।

उस मुकदमे में जब अब्दुल हमीद नामक एक व्यक्ति ने यह बयान दिया कि मुझे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मार्टिन क्लार्क को हत्या करने के लिए भेजा था, तो मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब मरहूम, वकील लाहौर ने अपनी हैसियत से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको अदालत में यह कहना है कि "मैं अब्दुल हमीद को नहीं जानता।"

उसके बाद शेष कार्यवाही हम स्वयं संभाल लेंगे। आप केवल इतना बयान दे दें कि "मैं उसे नहीं जानता।"

मरहूम वकील साहिब कहा करते थे कि हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हर प्रकार से विश्वास दिलाया कि यदि आप केवल इतना-सा बयान दे दें तो आपकी सफलता निश्चित है, अन्यथा रिहाई असंभव है।

वकील साहिब कहा करते थे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमारी सारी सलाहें सुनकर फ़रमाया:

"मैं संसार में सत्य को स्थापित करने के लिए आया हूँ। मैं हरगिज़ झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे मुझे फाँसी ही क्यों न दे दी जाए। मैं अब्दुल हमीद को जानता हूँ। वह क़ादियान आया करता था। मैं उससे हरगिज़ इंकार नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए।"

मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब मरहूम वकील फ़रमाते थे कि हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से निवेदन किया कि जान बचाना भी आवश्यक है। इसलिए यदि हुज़ूर झूठ नहीं बोलना चाहते तो कम-से-कम ऐसा उत्तर दे दें जिससे स्पष्ट रूप से यह न लगे कि आप उसे जानते हैं। झूठ न बोलें, लेकिन कुछ गोल-मोल-सी बात कर दें।

तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

"मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। खुदा तआला ने मुझे संसार में अपना आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भेजा है। मैं अपनी जान बचाने की ख़ातिर ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि सत्य बोलते हुए हमारी जान भी चली जाए, तब भी हम सफल हो गए।"

मौलवी फ़ज़ल दीन साहिब मरहूम, जो स्वयं ग़ैर-अहमदी थे, फ़रमाते थे कि उस समय हम बिल्कुल निराश हो गए। और जब अदालत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बयान हुआ तो आपने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि मैं अब्दुल हमीद को जानता हूँ।

इस पर हमें पूरा विश्वास हो गया कि अब रिहाई असंभव है।

किन्तु खुदा तआला की जो सहायता इस मुकदमे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को प्राप्त हुई, उसे देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए कि खुदा तआला ने किस प्रकार अपने मामूर की सहायता की और वे इस गंभीर मुकदमे में सम्मानपूर्वक बरी होकर सफल हो गए।

(रिवायात अस्हाब-ए-अहमद, जिल्द 3, पृष्ठ 173-174)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम ज़बह कर दिए गए, किन्तु वे सत्य कहने से नहीं रुके। उन्होंने ऐसी राज्य-विजय प्राप्त की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसका कारण क्या था? उनमें इख़लास था। उनमें सत्य और निष्ठा थी।

इस प्रकार के अवसरवादी तो नास्तिक लोग होते हैं। जो लोग खुदा तआला पर भरोसा रखते हैं और खुदा तआला के लिए कोई कार्य करते हैं, वे जानते हैं कि खुदा तआला की सहायता अवश्य आएगी, इसलिए वे ऐसा नहीं करते।

जो अल्लाह के बन्दे होते हैं, वे झूठ नहीं बोलते और सत्य बात कहने से नहीं रुकते।

यदि मुझसे पूछा जाए कि तुम मसीह मौऊद होने का दावा करते हो, तो मैं बताऊँ कि उसका क्या उत्तर देता हूँ।

सत्य और पुरुषार्थ के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं चलता।

हम पर इतने मुकदमे किए गए, किन्तु उनका परिणाम क्या हुआ? क्या कोई कह सकता है कि इन बातों से डरकर हमने एक कदम भी पीछे हटाया हो?

यह तो शिर्क है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि खुदा तआला है और वह अपने निष्ठावान बन्दों की सहायता करता है।

मैं सत्य-सत्य कहता हूँ कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहता है, खुदा तआला उसके साथ होता है।

इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिससे यह गुण उत्पन्न होता है।"

(मलफ़ूज़ात, जिल्द 9, पृष्ठ 254, संस्करण 2022)

यह केवल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के लिए विशेष नहीं था। आपने फ़रमाया कि यह सबके लिए है। जो भी सच्चे दिल से यह कलिमा पढ़ेगा और अल्लाह तआला पर पूर्ण विश्वास रखेगा, वह बचाया जाएगा।

बचपन के एक हिन्दू परिचित की गवाही

एक हिन्दू व्यक्ति की गवाही का उल्लेख मिलता है। वह कहता है:

"मैंने बचपन से मिर्ज़ा गुलाम अहमद को देखा है। मैं और वे हमउम्र हैं। मेरा क़ादियान आना-जाना हमेशा से रहा है और आज भी मैं देखता हूँ कि जैसी उत्तम आदतें अब हैं, वैसी ही नेक विशेषताएँ और आदतें पहले भी थीं।"

वे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जीवन के बारे में कहते हुए लिखते हैं:

"वे सच्चे, अमानतदार और नेक थे। मैं तो यह समझता हूँ कि परमेश्वर ने मिर्ज़ा साहिब का रूप धारण करके धरती पर अवतार लिया है और परमेश्वर स्वयं अपने चमत्कार दिखा रहा है।"

(तज़किरतुल महदी, हिस्सा द्वितीय, हज़रत पीर सिराजुल हक़ साहिब नोमानी रज़ियल्लाहु अन्हु, पृष्ठ 303)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बड़े पुत्र मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहिब लिखते हैं:

"वालिद साहिब हर समय दीन के कार्य में लगे रहते थे। घर के लोगों को उन पर पूरा विश्वास था। गाँव वालों को भी उन पर पूरा भरोसा था।

साझेदार, जो सामान्य रूप से विरोधी थे, वे भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नेकी के इतने प्रशंसक थे कि झगड़ों के समय कह देते थे कि जो कुछ ये कह दें, हमें स्वीकार है।

हर व्यक्ति उन्हें अमीन जानता था। हर व्यक्ति उन्हें सच्चा समझता था।"

(सीरतुल महदी, जिल्द 1, हिस्सा प्रथम, पृष्ठ 200, रिवायत संख्या 196)

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आपके वालिद साहिब का विचार था कि इनका गुज़ारा कैसे चलेगा। न तो ये जायदाद का प्रबन्ध कर सकते हैं और न नौकरी करना चाहते हैं।

पास के गाँव का एक सिख था। उसके दो बेटे हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के दादा साहिब के पास आया करते थे।

उनमें से एक ने हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को यह घटना सुनाई कि एक बार बड़े मिर्ज़ा साहिब ने मुझसे कहा:

"तुम जाओ। गुलाम अहमद तुम्हारी उम्र का है। उसे समझाओ कि यदि वह जायदाद का प्रबन्ध नहीं कर सकता तो मैं उसे नौकरी दिलवा दूँ।"

मैंने जाकर कहा:

"आपके वालिद साहिब नाराज़ होते हैं कि आप कोई काम नहीं करते। वे कहते हैं कि क्या सारी उम्र भाई के टुकड़ों पर ही पड़े रहोगे? जब मैं चला जाऊँगा तो क्या करोगे? यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूँ?"

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फ़रमाया:

“वालिद साहिब तो यूँ ही चिंता करते हैं। उन्हें कह दो कि मैं जिसका नौकर होना था, उसका हो चुका हूँ।”

यद्यपि दादा साहिब संसारिक स्वभाव के व्यक्ति थे, फिर भी उस सिख का बयान है कि जब मैंने जाकर उन्हें यह उत्तर सुनाया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ऐसा कहते हैं, तो वे चुप हो गए।

फिर उन्होंने कहा:

“यदि मेरे बेटे मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने यह कहा है, तो वह सच कहता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता।”

(हालात-ए-हाज़िरा के सम्बन्ध में जमाअत अहमदिया को महत्वपूर्ण निर्देश, अनवारुल उलूम, जिल्द 13, पृष्ठ 512-513)

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है और मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता कि जब 1916 ईस्वी में मिस्टर वाल्टर मरहूम, जो ऑल इंडिया वाई.एम.सी.ए. के सचिव थे और सिलसिला अहमदिया के संबंध में अनुसंधान करने के लिए क़ादियान आए थे, तो उन्होंने क़ादियान में यह इच्छा व्यक्त की कि मुझे सिलसिला अहमदिया के संस्थापक के किसी पुराने सहाबी से मिलवाया जाए।

उस समय मुंशी अरोड़ा साहिब मरहूम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ादियान में मौजूद थे। मिस्टर वाल्टर की मुलाकात मुंशी साहिब मरहूम रज़ियल्लाहु अन्हु से मस्जिद मुबारक में करवाई गई।

औपचारिक बातचीत के बाद मिस्टर वाल्टर ने मुंशी साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब की सत्यता के संबंध में आप पर सबसे अधिक किस प्रमाण ने प्रभाव डाला?

मुंशी साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उत्तर दिया:

“मैं अधिक पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं हूँ और न ही बहुत अधिक विद्वत्तापूर्ण प्रमाणों को जानता हूँ। लेकिन जिस बात ने मुझ पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, वह हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम का व्यक्तित्व था। मैंने उनसे अधिक सच्चा, अधिक ईमानदार और ख़ुदा तआला पर अधिक विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं देखा। उन्हें देखकर कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि यह व्यक्ति झूठा है। बाकी मैं तो उनके मुख का भूखा था। मुझे अधिक प्रमाणों का ज्ञान नहीं है।”

यह कहकर मुंशी साहिब मरहूम रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की याद में इतने व्याकुल हो गए कि फूट-फूटकर रोने लगे और रोते-रोते उन्हें हिचकियाँ आने लगीं।

उस समय मिस्टर वाल्टर, जो उनका साक्षात्कार ले रहे थे, उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि मानो शरीर में रक्त ही न रहा हो। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, जैसे कोई धुली हुई चादर हो।

बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक **“अहमदिया मूवमेंट”** में इस घटना का विशेष रूप से उल्लेख भी किया और लिखा:

“जिस व्यक्ति ने अपनी संगति में इस प्रकार के लोग पैदा किए हों, उसे हम कम-से-कम धोखेबाज़ नहीं कह सकते।”

(अस्हाब-ए-अहमद, जिल्द 4, पृष्ठ 94-95)

हज़रत मियाँ रहीम बख़्श साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मुझे एक व्यक्ति मुहम्मद इब्राहीम अहमदी मिले। उनसे मेरी कुछ बातें हुईं और मैं प्रभावित हो गया।

रात को मैंने एक स्वप्न देखा कि हम चारों भाई एक पहाड़ की गुफा में रास्ता भटक गए हैं। हमें रास्ता नहीं मिल रहा। मैं एक ओर से चढ़कर ऊपर आ गया। मैंने देखा कि एक रेलगाड़ी चल रही है, लेकिन वह भूमि से बहुत ऊँचाई पर है। मैं हैरान था कि उस पर कैसे चढ़ूँ।

ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा:

“नीचे जो रस्सी आकाश से लटक रही है, उसे पकड़ो, तभी ऊपर चढ़ सकते हो।”

वे कहते हैं कि सुबह इब्राहीम साहिब मेरे पास आए। मैंने उन्हें अपना स्वप्न सुनाया।

उन्होंने क़ुरआन-ए-करीम निकालकर मुझे **وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ** (आले इमरान: 104) का अर्थ बताया कि “अल्लाह की रस्सी को दृढ़ता से पकड़ लो।”

इसके बाद मैंने बैअत का पत्र लिख दिया। उत्तर आया कि बैअत स्वीकार है, लेकिन क़ादियान अवश्य आओ।

यह उत्तर मुझे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ओर से, उनके निजी सचिव या जिस किसी ने भी पत्र लिखा था, प्राप्त हुआ।

मैंने उसी समय क़ादियान जाने की तैयारी कर ली।

अमृतसर स्टेशन पर जब मैं बटाला जाने वाली गाड़ी में सवार हुआ तो मेरे डिब्बे में दो-तीन बहुत वृद्ध सिख बैठे हुए थे।

उन्होंने मुझसे पूछा:

“कहाँ जा रहे हो?”

मैंने कहा:

“क़ादियान।”

उन्होंने कहा:

“मिर्ज़े वाले क़ादियान?”

मैंने कहा:

“हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ।”

फिर मैंने उनसे पूछा:

“अच्छा बताओ तो सही, वह कैसे हैं?”

यद्यपि मैं स्वप्न देख चुका था, बैअत भी कर चुका था, फिर भी दिल की और अधिक तसल्ली के लिए मैंने उनसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ लिया।

वे कहने लगे:

“वह बहुत प्रसिद्ध हैं। वह ख़ुदाई का दावा करते हैं।”

यह सिखों की अपनी समझ थी। वास्तव में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दावा यह था कि मैं ख़ुदा तआला से वह्य और इल्हाम पाकर भेजा गया हूँ और लोगों को ख़ुदा तआला की ओर बुलाने के लिए आया हूँ।

वे कहते हैं कि मैंने मज़ाक में उनसे कहा:

“मैं मिर्ज़ा साहिब को जानता हूँ। सियालकोट में वे और मेरे पिता दोनों नौकरी करते थे और साथ मिलकर भंग पिया करते थे।”

हालाँकि मैं बैअत कर चुका था, फिर भी शरारतवश मैंने ऐसा कह दिया।

इस पर उन सिखों ने कहा:

“मियाँ! ऐसा हरगिज़ मत कहो।

वह तो एक साधु पुरुष हैं और अत्यंत सच्चे तथा अमानतदार व्यक्ति हैं। वे इतने प्रसिद्ध हैं कि लोग उनकी मिसाल दिया करते हैं। यदि कोई सत्य बोले तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि क्या तू मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा का बेटा है?

उनकी सत्यनिष्ठा हमारे लिए एक मिसाल बन चुकी है।

वह बचपन में हमारे साथ खेलते रहे हैं और हमें पुस्तकें पढ़कर सुनाया करते थे। वे एक रईस के पुत्र थे, इसलिए हम उनका आदर करते थे।

लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन आता गया। एक समय ऐसा आया कि वे घर के भीतर ही रहने लगे और बाहर निकलना लगभग छोड़ दिया।”

अर्थात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एकांतवास अपना लिया था।

सिखों की अपनी धारणा थी, इसलिए वे कहते थे:

“वह भीतर बैठकर जादू तैयार करता रहा और क़ादियान के चारों ओर कई-कई मील तक उसने जादू कर दिया।”

अर्थात उन्होंने लोगों को अपने सत्य का कायल बना लिया था।

वे कहते थे:

“किसी भी धर्म का व्यक्ति उसके पास आए तो वह उसी के धर्म से अपनी सत्यता सिद्ध कर देता और उसके धर्म की कमज़ोरी स्पष्ट कर देता।

वह कहता है कि मैं आसमानों से आया हूँ।”

मैंने यह सारी बातें उनसे सुन लीं।

फिर जब मैं क़ादियान पहुँचा और मेहमानखाने में ठहरा तो वहाँ तीन-चार लड़के थे।

मैंने सोचा कि देखूँ, मैंने सही रास्ता स्वीकार किया है या नहीं।

इसलिए मैं उन लड़कों से कुछ कठोरता के साथ बात करता था, लेकिन वे अत्यंत नम्रता और अच्छे व्यवहार से पेश आते थे।

मेरी बदअख़लाक़ी के बावजूद वे बड़े उत्तम चरित्र का प्रदर्शन करते थे।

मैं उनकी तरबियत को परखना चाहता था।

मैंने उनसे कहा:

"मैं मिर्ज़ा साहिब से मिलना चाहता हूँ।"

उन्होंने कहा:

"इस समय वे सैर के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। मिलना कठिन है।"

क़ादियान में घूमते-घूमते मेरा दिल घबराने लगा। भीषण गर्मी थी। मैंने निश्चय किया कि वापस लौट जाऊँ।

अभी मेरा ईमान पूरी तरह दृढ़ नहीं हुआ था।

रास्ते में मुझे एक अरब व्यक्ति मिला। उसने कहा:

"भाई साहिब! आप क़ादियान आए हैं तो हज़रत साहिब को अवश्य देखकर जाएँ। यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। लोग तो आते रहेंगे, लेकिन यह हस्ती फिर उपलब्ध नहीं होगी। मौका है, उनसे मिलकर जाइए।"

लेकिन मैंने ध्यान न दिया और ताँगे वाले से कहा कि चलो, मैं वापस जाना चाहता हूँ।

इतने में अज़ान हो गई।

मैंने कहा:

"अब नमाज़ पढ़कर जाऊँगा।"

मैं मस्जिद की ओर लौट आया।

वही अरब व्यक्ति मुझे मिला और कहने लगा:

"भाई साहिब! जब से आपसे मुलाकात हुई है, मैं सज्दे में गिरकर आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तआला आपको रोक ले ताकि आप हज़रत साहिब को देख सकें।"

यह उस अरब व्यक्ति का भी गहरा इख़लास था।

फिर वे कहते हैं:

"आख़िरकार मैंने हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम को देखा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सभा में आकर बैठ गए। मैं सामने खड़ा था। मेरी दाढ़ी, सिर और मूँछें सब मुंडी हुई थीं।

हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम सिर झुकाए बैठे थे।

मैंने मन में कहा कि जब तक मैं इस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखूँगा, मुझे पूर्ण विश्वास नहीं होगा। यद्यपि मैं पत्र द्वारा बैअत कर चुका था, फिर भी अभी पूर्ण यक़ीन नहीं हुआ था।"

कुछ देर बाद हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने चेहरा उठाकर देखा।

वे कहते हैं:

"मेरे दिल ने कहा— आप सच्चे हैं।"

जब मैंने आपका चेहरा देखा तो भीतर से आवाज़ आई:

"ये सच्चे हैं, सत्यवादी हैं।"

फिर कुछ देर बाद आपने दोबारा सिर उठाकर देखा।

मैंने कहा:

"آمَنَّا وَصَدَّقْنَا"

"हम ईमान लाए और हमने सत्य माना।"

"आप सच्चे हैं।"

तीसरी बार आपने फिर देखा तो मैं पूरी तरह समर्पित हो गया।

फिर नमाज़ खड़ी हुई।

नमाज़ के बाद हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम भीतर जाने लगे।

एक व्यक्ति दरवाज़े के पास खड़ा हुआ और उसने निवेदन किया:

"हुज़ूर! मेरे लिए दुआ करें।"

आपने फ़रमाया:

"आप तो मेरी बैअत में हैं। मैं तो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करता हूँ।"

(माख़ूज़ अज़ रिवायात अस्हाब-ए-अहमद, जिल्द 4, पृष्ठ 362-363)

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल हज़रत हकीम नूरुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हु के समय के बुज़ुर्ग सहाबी हज़रत ख़लीफ़ा निज़ामुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं सियालकोट से नौकरी के लिए शिकरपुर (सिंध) गया था। वहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के विरुद्ध बहुत शोर-शराबा सुना।

अमृतसर में मेरे मित्र थे, इसलिए मैं वहाँ आ गया। अमृतसर से सियालकोट जाने का इरादा था, लेकिन मैं सोता रह गया और सियालकोट जाने वाली दो गाड़ियाँ निकल गईं। जब जागा तो पता चला कि गाड़ियाँ जा चुकी हैं।

तुरन्त मेरे दिल में विचार आया कि मिर्ज़ा साहिब का गाँव पास ही है, उन्हें देखना तो चाहिए।

फिर मैंने पूछा कि बटाला जाने वाली गाड़ी कब जाएगी? लोगों ने बताया कि आधे घंटे बाद जाएगी। मैंने टिकट लिया, बटाला पहुँचा और वहाँ से पैदल क़ादियान चला गया।

मैं वहाँ अस्र के समय पहुँचा और हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला। वे सियालकोट से मेरे परिचित थे। मुझे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। हमने अस्र की नमाज़ अदा की।

दूसरे दिन सुबह मौलवी अब्दुल करीम साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मेरे आने की सूचना दी। फिर वे कहते हैं कि मस्जिद की एक खिड़की खुलती थी, वहीं ताक़ के पास हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मेरी बैअत ली।

वे कहते हैं:

"हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर ही मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि संसार झूठा हो सकता है, परन्तु यह चेहरा झूठा नहीं हो सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे में एक विशेष आकर्षण था। उसमें से ऐसा नूर बरसता था जो दिलों को मोह लेता था।"

(माख़ूज़ अज़ रिवायात अस्हाब-ए-अहमद, जिल्द 4, पृष्ठ 365)

इसी प्रकार हज़रत हकीम अब्दुर्रहमान साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब मेरे वालिद साहिब बैअत करके चक नम्बर 276, डाकख़ाना गोजरा, ज़िला लायलपुर गए तो उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत तब्लीग़ की और लोगों ने उन्हें अपना इमाम नियुक्त कर लिया।

जब वे क़ुरआन-ए-करीम पढ़ाने लगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का विषय आया तो उन्होंने उसे खुलकर समझाया। लोग आश्चर्यचकित रह गए।

वे कहते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति वज़ीर दीन था, जो गाँव का नम्बरदार था। एक दिन उसने हकीम साहिब से कहा कि उसे एक बड़ी देग की आवश्यकता है। उन दिनों बड़ी देगें प्रायः गूजरांवाला में बनती थीं।

उसने कहा, "मेरे साथ चलिए, वहाँ से एक अच्छी देग ले आएँगे।"

मैंने कहा, "यदि अच्छी देग लेनी ही है तो बटाला चलते हैं, वहाँ और भी अच्छी देगें बनती हैं।"

जब वे बटाला पहुँचे तो मैंने चौधरी वज़ीर दीन से कहा:

"यहाँ पास ही क़ादियान में मिर्ज़ा साहिब रहते हैं। मैं उनकी बैअत कर चुका हूँ। वे सच्चे हैं। आप भी चलिए।"

इस पर चौधरी साहिब ने कहा:

"मैं गवाही देता हूँ कि वे अवश्य सच्चे हैं। क्योंकि सियालकोट में मैं और मिर्ज़ा साहिब साथ नौकरी करते थे। मैं पटवारी था और वे दफ़्तर में काम करते थे।"

फिर उन्होंने कहा:

"हाँ, वे अवश्य सच्चे होंगे। मैंने उन्हें दफ़्तर में काम करते देखा है। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी झूठ नहीं बोला। वे बड़े परहेज़गार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति कभी झूठा दावा नहीं कर सकता।

मैंने उनकी युवावस्था देखी हुई है। ऐसे व्यक्ति का दावा झूठा नहीं हो सकता।"

फिर वे हकीम साहिब के साथ क़ादियान गए और चौधरी साहिब ने तत्काल बैअत कर ली।

(माख़ूज़ अज़ रिवायात अस्हाब-ए-अहमद, जिल्द 4, पृष्ठ 372-373)

मियाँ फ़िरोज़दीन साहिब बयान करते हैं कि मेरे दादा साहिब का नाम मियाँ निज़ामुद्दीन था। जिस समय हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम नौकरी के सिलसिले में सियालकोट आए थे, मेरे दादा साहिब ने आपको मुहल्ला सालू गुर्जर में किराए का मकान दिलवाया था।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मेरे दादा साहिब से छह माशा सोने की एक अंगूठी भी बनवाकर अपने घर भेजी थी।

इस प्रकार दादा साहिब के साथ आपके घनिष्ठ संबंध थे।

जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मसीह होने का दावा किया, तो कुछ समय बाद मेरे दादा साहिब ने आपकी बैअत कर ली और पूरे परिवार से कहा:

"मैं उन्हें उस समय से जानता हूँ जब वे यहाँ नौकरी करते थे। इसलिए तुम सब लोग मेरे सामने उनकी बैअत कर लो।

यह चेहरा झूठों का नहीं हो सकता।"

वे कहते हैं कि 1892 ईस्वी में हमारे पूरे परिवार ने बैअत कर ली।

(माख़ूज़ अज़ रिवायात अस्हाब-ए-अहमद, जिल्द 4, पृष्ठ 374)

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु एक रिवायत बयान करते हैं कि मुंशी अब्दुल अज़ीज़ साहिब ओजलवी ने बताया:

"लगभग 1890 ईस्वी में मैं मौज़ा जगतपुर कोहलियाँ, तहसील गुरदासपुर में पटवारी था। 1891 ईस्वी में मैंने प्रयास करके अपना तबादला मौज़ा सेखवाँ, तहसील गुरदासपुर में करवा लिया।

उस समय मैं अहमदी नहीं था, लेकिन हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम का नाम सुन रखा था। विरोध तो नहीं था, पर यह विचार अवश्य था कि सभी उलेमा आपके विरोधी हैं।

सेखवाँ जाकर मेरी पहचान मियाँ जमालुद्दीन, इमामुद्दीन और ख़ैरुद्दीन साहिब से हुई। उन्होंने मुझे हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम की पुस्तक इज़ाला-ए-औहाम पढ़ने के लिए दी।

मैंने दुआ करके पुस्तक पढ़नी शुरू की। पढ़ते-पढ़ते हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम की सत्यता मेरे दिल में कील की तरह गड़ गई और मेरे सभी संदेह दूर हो गए।

कुछ दिनों बाद मैं मियाँ ख़ैरुद्दीन साहिब के साथ क़ादियान गया। गोल कमरे के निकट पहली बार मुझे हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम के दर्शन हुए।

हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम को देखकर मैंने मियाँ ख़ैरुद्दीन साहिब से कहा:

'यह चेहरा झूठों जैसा नहीं है।'

फिर मैंने बैअत कर ली।"

(सीरतुल महदी, जिल्द 1, हिस्सा तृतीय, पृष्ठ 617, रिवायत संख्या 659)

इसी प्रकार हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु एक और रिवायत हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु की बयान करते हैं।

वे लिखते हैं:

"जब मैंने पहली बार लाहौर में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दर्शन किए, उस समय मेरे मन में किसी प्रकार के धार्मिक विचारों की समीक्षा या आलोचना नहीं थी।

उस समय मेरे दिल पर जो प्रभाव पड़ा, वह केवल यही था कि यह व्यक्ति सच्चा है और जो कुछ कहता है, सत्य कहता है। और अल्लाह तआला की ओर से मेरे दिल में आपके प्रति ऐसी मुहब्बत डाल दी गई जो मेरे लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सत्यता का सबसे बड़ा प्रमाण बन गई।

यद्यपि उस समय मैं एक बच्चा था, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी।

बाद में लगातार ऐसे अनेक घटनाक्रम होते रहे जिन्होंने मेरे ईमान को और अधिक दृढ़ किया, लेकिन मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आपके मुबारक चेहरे को देखकर ही स्वीकार किया था।

आज तक वही प्रभाव मेरे लिए आपके दावों की सत्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि मैं 3 सितम्बर 1904 से ही अहमदी हूँ, जब मैंने पहली बार आपको देखा था।"

(सीरतुल महदी, जिल्द 2, हिस्सा चतुर्थ, पृष्ठ 37, रिवायत संख्या 1036)

इसी प्रकार हज़रत मियाँ सदर दीन साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं:

"जब मैंने बैअत की तो मैंने अपने पिता से पूछा:

'क्या आपको मालूम है कि लोग झुंड के झुंड क़ादियान क्यों आ रहे हैं?'

उन्होंने कहा:

'मुझे नहीं मालूम।'

मैंने कहा:

'मिर्ज़ा साहिब कहते हैं कि मैं मसीह मौऊद हूँ।'

मेरे पिता ने उत्तर दिया:

'यह बात अवश्य सही होगी। मैंने इस व्यक्ति को बचपन से देखा है। वह गलत बात नहीं कहता।'"

(रिवायात अस्हाब-ए-अहमद, जिल्द 4, पृष्ठ 93-94)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"अब देखो, खुदा तआला ने अपनी हुज्जत तुम पर इस प्रकार पूरी कर दी है कि मेरे दावे के समर्थन में हज़ारों प्रमाण स्थापित करके तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम विचार करो कि वह व्यक्ति, जो तुम्हें इस सिलसिले की ओर बुलाता है, किस स्तर का ज्ञान रखने वाला है और कितने प्रमाण प्रस्तुत करता है।

और तुम मेरी पूर्व जीवन-यात्रा पर कोई ऐसा दोष, कोई झूठ, कोई मिथ्या आरोप या कोई धोखा सिद्ध नहीं कर सकते, जिससे यह समझ सको कि जो व्यक्ति पहले से झूठ और मिथ्या का अभ्यस्त था, उसने यह दावा भी झूठा किया होगा।

तुममें से कौन है जो मेरे जीवन-वृत्त पर कोई उँगली उठा सकता है?

अतः यह खुदा तआला का फ़ज़्ल है कि उसने प्रारम्भ से ही मुझे तक़वा पर स्थापित रखा, और विचार करने वालों के लिए यह भी एक प्रमाण है।"

(तज़किरतुश्शहादतैन, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 20, पृष्ठ 64)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमें नसीहत करते हुए फ़रमाते हैं:

"याद रखो, जब सच्चाई पूरी तरह अपना प्रभाव उत्पन्न कर लेती है, तो वह एक नूर बन जाती है, जो हर अँधेरे में उसे अपनाने वाले के लिए मार्गदर्शक होती है और हर कठिनाई में उसकी रक्षा करती है।"

(मलफ़ूज़ात, जिल्द 2, पृष्ठ 140, संस्करण 2022)

अल्लाह तआला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इस सत्य को समझते हुए सच्चाई पर दृढ़ रहने वाले बनें और सदैव सत्य के उच्चतम मानकों पर चलने वाले हों।

★ ★ ★

दारुस्सनाअत कादियान (Ahmadiyya Vocational Training Centre) में वर्ष 2026-2027 के प्रवेश लिए दाख़िला शुरू है

दारुस्सनाअत कादियान का आरंभ हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अल् ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की मंज़ूरी और विशेष राहनुमाई से 2010 ई. में हुआ। विभाग का विशेष उद्देश्य अहमदी विद्यार्थियों को हुनर-मंद बनाना और टेकनीकल कोर्स विशेषता रोज़गार के अवसर पैदा करना है। दारुस्सनाअत कादियान सरकारी विभाग NSIC दिल्ली और ISO रजिस्टर्ड है। जिसमें एक वर्ष के निम्नलिखित कोर्स करवाए जाते हैं।

Plumbing
Electrician
Welding
Motor Vehicle
AC & Refrigerator
Diesel Mechanic
Computer Applications

कादियान के बाहर से आने वाले अहमदी विद्यार्थियों के लिए hostel और mess का इंतेज़ाम उपलब्ध है । रहने और food की कोई फ़ीस नहीं है। केवल कोर्स की बोर्ड फ़ीस आसान किस्तों में ली जाती है। ऐसे अहमदी नौजवान जो अपने स्कूल की शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके या 8th और 10th के बाद टेक्नीकल कोर्स करने के ख़ाहिशमंद हों प्रवेश के लिए जल्द संपर्क करें। अहमदी बच्चों की दीनी शिक्षा का भी इंतेज़ाम मौजूद है। इसके अतिरिक्त रोज़ाना English Speaking और Personality Developmentकी क्लास भी ली जाती है। नए सैशन 2026-2027 के लिए दाख़िला शुरू हो गया है। जिसकी क्लासिज़ 16 जुलाई से शुरू होंगी। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित नम्बरज़ Email Id पर संपर्क कर सकते हैं।

darulsanaat.qadian@gmail.com
9872725895, 8077546198
(प्रिंसिपल दारुस्सनाअत कादियान)

★ ★ ★

हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का पवित्र जीवन

(हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद[रज़ि.] जमाअत अहमदिया के द्वितीय ख़लीफ़ा)

शेष .. एक महान भविष्यवाणी का पूर्ण होना

जब युद्ध आरम्भ होने का समय आया तो नबी करीम (स.अ.व.) जहां बैठ कर दुआ कर रहे थे बाहर आए और फ़रमाया سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ अर्थात् शत्रु-सेना पराजित हो जाएगी और पीठ दिखा कर रणभूमि छोड़ जाएगी। आप[स.] के ये कथित शब्द क़ुर्आन करीम की एक भविष्यवाणी थी जो इस युद्ध के संबंध में क़ुर्आन करीम में मक्का में ही उतरी थी। मक्का में जब मुसलमान काफ़िरों के निरन्तर अत्याचारों का शिकार हो रहे थे तथा इधर-उधर हिजरत करके जा रहे थे। ख़ुदा तआला ने रसूले करीम (स.अ.व.) पर क़ुर्आन करीम की ये आयतें उतारीं —

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝٤١ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٤٢ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝٤٣ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ۝٤٤ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ۝٤٥

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ۝٤٦ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝٤٧ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ۝٤٨

(सूरह क़मर 42 से 49)

अर्थात् हे मक्का वालो ! फिरऔन की ओर से भयभीत करने वाली बातें आई थीं, परन्तु उन्होंने हमारी समस्त आयतों का इन्कार किया। अतः हम ने उन्हें इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार एक सशक्त विजेता पकड़ता है (हे मक्का वालो) बताओ क्या तुम्हारे काफ़िर उन (काफ़िरों) से अच्छे हैं अथवा तुम्हारे लिए पहली पुस्तकों में सुरक्षा का कोई वचन दिया जा चुका है। वे कहते हैं हम तो एक महान शक्ति हैं जो शत्रुओं से पराजित नहीं होती अपितु शत्रुओं से प्रतिशोध लिया करती है (वे ये बातें करते रहें) उनके जत्थे शीघ्र ही एकत्र होंगे और फिर उन्हें पराजय का मुँह देखना पड़ेगा और वे पीठ फेर कर भाग जाएंगे अपितु ख़ुदा तआला की ओर से विनाश का वादा है और यह विनाश का समय अत्यन्त दारुण, दुखदायी और असहनीय होगा। उस दिन अपराधी अत्यन्त व्याकुल तथा प्रकोपग्रस्त होंगे और उन्हें मुँह के बल घसीट कर अग्नि-कुण्डों में डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब महा प्रकोप का स्वाद चखो।

ये आयतें सूरह क़मर की हैं और सूरह 'क़मर' समस्त इस्लामी ऐतिहासिक वार्ताओं के अनुसार मक्का में उतरी थी। मुसलमान विद्वान भी इस सूरह को नुबुव्वत के दावे के पाँच से दस वर्ष पश्चात् की बताते हैं अर्थात् यह हिजरत से कम से कम तीन वर्ष पूर्व उतरी थी अपितु कदाचित आठ वर्ष पूर्व। यूरोप के शोधकर्ता भी इस की पुष्टि करते हैं। अतः नाल्डके (NOLDEKE) इस सूरह को नुबुव्वत के दावे के पांच वर्ष पश्चात् बताता है, रेवरण्ड वैरी (REVEREND WHERRY) लिखते हैं कि मेरे विचारानुसार नाल्डके (NOLDEKE) ने इस सूरह के उतरने का समय थोड़ा पहले बताया है। यह अपना अनुमान यह बताते हैं कि यह सूरह हिजरत से छः सात वर्ष पहले उतरी, जिसका तात्पर्य यह है कि उनके निकट यह सूरह नुबुव्वत के दावे के पश्चात् छठे या सातवें वर्ष की है। अस्तु मुसलमानों के शत्रुओं ने भी इस सूरह को हिजरत से कई वर्ष पूर्व का बताया है। उस ज़माने में इस युद्ध की सूचना कितने स्पष्ट शब्दों में दी गई थी तथा काफ़िरों का परिणाम बता दिया गया था और फिर किस प्रकार रसूले करीम (स.अ.व.) ने बदर का युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व इन आयतों को पढ़कर मुसलमानों को बताया कि ख़ुदा का वादा पूर्ण होने का समय आ गया है।

अतः चूंकि वह समय आ गया था जिसकी सूचना यसइयाह नबी[1] ने समय से पूर्व दे रखी थी तथा जिसकी सूचना क़ुर्आन करीम ने पुनः युद्ध प्रारम्भ होने से छः या आठ वर्ष पूर्व दी थी। इसलिए इसके बावजूद कि मुसलमान इस युद्ध के लिए तैयार न थे तथा इसके बावजूद कि काफ़िरों को भी उनके कुछ साथियों ने यह परामर्श दिया था कि युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध हो गया तथा 313 लोग जिन में अधिकांश को युद्ध कला का अनुभव भी न था, शेष सब के सब साधनहीन और निहत्थे थे। काफ़िरों की अनुभवी सेना के मुक़ाबले में जिस की संख्या एक हज़ार से अधिक थी खड़े हो गए। युद्ध हुआ और कुछ ही घंटे के अन्दर अरब के बड़े-बड़े सरदार मारे गए। यसइयाह की भविष्यवाणी के अनुसार क़ैदार की गरिमा धूल में मिल गई तथा मक्का की सेना कुछ लाशें और कुछ क़ैदी पीछे छोड़ कर सर पर पांव रख कर मक्का की ओर भाग खड़ी हुई। जो क़ैदी पकड़े गए उनमें रसूले करीम (स.अ.व.) के चाचा अब्बास[रज़ि.] भी थे जो हमेशा आप का साथ दिया करते थे। मक्का वाले उन्हें विवश करके अपने साथ युद्ध के लिए ले आए थे। इसी प्रकार क़ैदियों में रसूले करीम (स.अ.व.) की बड़ी बेटी के पति अबुलआस भी थे। मारे जाने वालों में इस्लाम का सब से बड़ा शत्रु मक्का की सेना का सेनापति अबूजहल भी शामिल था[1]।

बदर के क़ैदी

इस विजय पर रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम प्रसन्न थे कि वे भविष्यवाणयां कि जिनका निरन्तर चौदह वर्ष से आप के द्वारा प्रचार किया जा रहा था तथा वे भविष्यवाणयां जो पूर्वकालीन नबी उस दिन के संबंध में कर चुके थे पूरी हो गईं परन्तु मक्का के विरोधियों का भयानक अन्त भी आपकी दृष्टि के सामने था। आप के स्थान पर यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो प्रसन्नता से उछलता और कूदता, परन्तु जब मक्का के क़ैदी रस्सियों में बंधे हुए आप के सामने से गुज़रे तो आप और आप के वफ़ादार साथी अबू बकर[रज़ि.] की आँखों से सहसा आँसू बहने लगे। उस समय हज़रत उमर[रज़ि.] जो बाद में आप के द्वितीय ख़लीफ़ा बने सामने से आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस विजय और हर्षोल्लास के अवसर पर आप क्यों रो रहे हैं ! उन्होंने कहा— हे अल्लाह के रसूल ! मुझे भी बताइए कि इस समय रोने का क्या कारण है यदि वह बात मेरे लिए भी रोने का कारण है तो मैं भी रोऊँगा, अन्यथा कम से कम आप के साथ भागीदार होने के लिए रोने वाली शक्ल ही बनाऊँगा। आप[स.] ने फ़रमाया — देखते नहीं कि ख़ुदा तआला के आदेशों की अवहेलना करने से आज मक्का वालों की क्या दशा हो रही है।

आप के न्याय और अदालत का उल्लेख यसइयाह नबी ने अपनी भविष्यवाणीयों में बार-बार किया है। इस अवसर पर एक रहस्यपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुआ। मदीना की ओर वापस आते हुए रात को जब आप सोने के लिए लेटे तो सहाबा[रज़ि.] ने देखा कि आप को नींद नहीं आ रही। अतः उन्होंने विचार करके यह परिणाम निकाला कि आप के चाचा अब्बास[रज़ि.] चूंकि रस्सियों में जकड़े होने के कारण सो नहीं सकते और उनके कराहने की आवाज़ें आती हैं इसलिए उनके कष्ट के विचार से आप को नींद नहीं आती। उन्होंने आपस में परामर्श करके हज़रत अब्बास[रज़ि.] के बन्धनों को ढीला कर दिया। हज़रत अब्बास[रज़ि.] सो गए और रसूले करीम (स.अ.व.) को भी नींद आ गई। थोड़ी देर के पश्चात सहसा घबरा कर आप की आँख खुली और आप[स.] ने पूछा अब्बास[रज़ि.] ख़ामोश

क्यों हैं, उनके कराहने की आवाज़ क्यों नहीं आती? आप के हृदय में यह भ्रम उत्पन्न हुआ कि कदाचित कष्ट के कारण वह बेहोश हो गए। सहाबा[रज़ि.] ने कहा हे अल्लाह के रसूल ! हमने आप के कष्ट को देखकर उनके बन्धन ढीले कर दिए हैं। आप[स.] ने फ़रमाया— नहीं, नहीं यह अन्याय नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार अब्बास मेरे सम्बन्धी हैं अन्य क़ैदी भी दूसरों के परिजन हैं या तो सब क़ैदियों के बंधन ढीले कर दो ताकि वे आराम से सो जाएं और या फिर अब्बास[रज़ि.] के भी बन्धन कस दो। सहाबा[रज़ि.] ने आप[स.] की बात सुनकर सब क़ैदियों के बंधन ढीले कर दिए तथा सुरक्षा का पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लिया। जो लोग क़ैद हुए थे उनमें से जो पढ़ना जानते थे आप[स.] ने उनका केवल यही फ़िदया निर्धारित किया कि वे मदीना के दस-दस लड़कों को पढ़ना सिखा दें अर्थात् जिनको मुक्त कराने हेतु धन राशि देने वाला कोई नहीं था उन्हें यों ही आज़ाद कर दिया, वे धनवान लोग जो फ़िदया दे सकते थे उन से उचित फ़िदया लेकर छोड़ दिया और इस प्रकार इस प्राचीन दासप्रथा को कि क़ैदियों को दास बना कर रखा जाता था समाप्त कर दिया।

उहद का युद्ध

काफ़िरों की सेना ने बदर की रणभूमि से भागते हुए यह घोषणा की थी कि अगले वर्ष हम पुनः मदीना पर आक्रमण करेंगे तथा मुसलमानों से अपनी पराजय का बदला लेंगे। अतः एक वर्ष के पश्चात् वे पुनः पूरी तैयारी करके मदीना पर आक्रमणकारी हुए। मक्का वालों की यह दशा थी कि उन्होंने बदर के युद्ध के पश्चात् यह घोषणा कर दी थी कि किसी व्यक्ति को अपने पुरुषों पर रोने की आज्ञा नहीं तथा जो व्यापारिक क़ाफ़िले आएंगे उनकी आय भावी युद्ध के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। अतः बड़ी तैयारी के पश्चात् तीन हज़ार से अधिक सैनिकों के साथ अबू सुफ़यान मदीना पर आक्रमणकारी हुआ। रसूले करीम (स.अ.व.) ने सहबा[रज़ि.] से परामर्श किया कि क्या हमें शहर में ठहर कर मुक़ाबला करना चाहिए या बाहर निकलकर? आप का अपना विचार यही था कि शत्रु को आक्रमण करने दिया जाए ताकि युद्ध के आरम्भ करने का वही उत्तरदायी हो और मुसलमान अपने घरों में बैठ कर आसानी से सामना कर सकें, परन्तु वे मुसलमान युवक जिन्हें बदर के युद्ध में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था और जिनके हृदयों में एक पीड़ा थी कि काश ! हमें भी ख़ुदा के मार्ग में शहीद होने का अवसर प्राप्त होता। उन्होंने आग्रह किया कि हमें शहीद होने से क्यों वंचित किया जाता है। अतः आप[स.] ने उनकी बात स्वीकार कर ली।

परामर्श करते समय आप ने एक स्वप्न भी सुनाया। फ़रमाया— स्वप्न में मैंने कुछ गाएं देखी हैं तथा मैंने देखा कि मेरी तलवार का सिरा टूट गया है और मैंने यह भी देखा कि वे गाएं ज़िब्ह की जा रही हैं और फिर यह कि मैंने अपना हाथ एक मज़बूत और सुरक्षित कवच के अन्दर डाला है① और मैंने यह भी देखा कि मैं एक मेंढे की पीठ पर सवार हूँ②। सहाबा[रज़ि.] ने कहा— हे अल्लाह के रसूल ! आप ने इन स्वप्नों की क्या ता'बीर की? आपने फ़रमाया— गाय के ज़िब्ह करने की ता'बीर यह है — कि मेरे कुछ सहाबा[रज़ि.] शहीद होंगे और तलवार का सिरा टूटने से अभिप्राय यह मालूम होता है कि मेरे प्रियजनों में से कोई प्रमुख व्यक्ति शहीद होगा अथवा कदाचित मुझे ही इस युद्ध में कोई कष्ट पहुँचे तथा कवच के अन्दर हाथ डालने का अभिप्राय मैं यह समझता हूँ कि हमारा मदीना में ठहरना अधिक उचित है और मेंढे पर सवार होने वाले स्वप्न की ता'बीर से यह प्रतीत होता है कि काफ़िरों के सरदार पर हम विजयी होंगे अर्थात् वह मुसलमानों के हाथ से मारा जाएगा। यद्यपि इस स्वप्न में मुसलमानों पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उनका मदीना में रहना अधिक उचित है परन्तु चूंकि स्वप्न की ता'बीर रसूले करीम (स.अ.व.) की अपनी थी, इल्हामी नहीं थी, आपने बहुमत को स्वीकार कर लिया और यूद्ध के लिए बाहर जाने का निर्णय कर दिया। जब आप बाहर निकले तो युवकों के अपने हृदय में लज्जा का आभास हुआ। उन्होंने कहा हे अल्लाह के रसूल ! जो आप का परामर्श है वही उचित है, हमें मदीना में ठहर कर शत्रु का सामना करना चाहिए। आप[स.] ने फ़रमाया— ख़ुदा का नबी जब कवच धारण कर लेता है तो उतारा नहीं करता। अब चाहे कुछ भी हो हम आगे ही जाएंगे। यदि तुम ने धैर्य से काम लिया तो ख़ुदा की सहायता तुम्हारे साथ होगी। यह कह कर आप[स.] एक हज़ार सेना के साथ मदीना से निकले और थोड़ी दूर जाकर रात व्यतीत करने के लिए डेरा डाल दिया। आप का सदैव यह नियम था कि आप शत्रु के पास पहुँच कर अपनी सेना को कुछ समय विश्राम करने का अवसर दिया करते थे, ताकि वे अपने सामान आदि तैयार कर लें। प्रातःकाल की नमाज़ के समय जब आप निकले तो आप को ज्ञात हुआ कि कुछ यहूदी भी अपने समझौता किए हुए क़बीलों की सहायता के बहाने आए हैं। चूंकि यहूदियों के षड्यंत्रों की जानकारी आप को हो चुकी थी। आप ने फ़रमाया— इन लोगों को वापस कर दिया जाए। इस पर अब्दुल्लाह बिन उबय्य बिन सुलूल जो मुनाफ़िक़ों (द्वैमुखी लोगों) का सरदार था वह भी अपने तीन सौ साथियों को लेकर यह कहते हुए वापस लौट गया कि अब यह लड़ाई नहीं रही, यह तो विनाश को निमंत्रण देना है; क्योंकि स्वयं अपने सहायकों को युद्ध से रोका जाता है। परिणामस्वरूप मुसलमान मात्र सात सौ रह गए जो शत्रु सेना की संख्या के चौथाई भाग से भी कम थे और युद्ध सामग्री की दृष्टि से और भी निर्बल; क्योंकि शत्रु सेना में सात सौ कवचधारी थे और मुसलमानों में मात्र एक सौ कवचधारी। शत्रु सेना में दो सौ घुड़सवार थे परन्तु मासलमानों के पास केवल दो घोड़े थे। अस्तु आप 'उहद' के स्थान पर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर आपने एक दर्रे की सुरक्षा के लिए पचास सैनिक नियुक्त किए और सैनिकों के अफ़सर को निर्देश दिया कि दर्रा इतना महत्वपूर्ण है कि चाहे हम मौत के घाट उतार दिए जाएँ या विजयी हो जाएँ तुम यहाँ से न हटना①। तत्पश्चात् आप शेष छः सौ पचास सैनिक लेकर शत्रु का सामना करने के लिए निकले, जो अब शत्रु की संख्या से लगभग पांचवां भाग थे। युद्ध हुआ तथा अल्लाह तआला की सहायता और सहयोग से थोड़ी ही देर में साढ़े छः सौ मुसलमानों के मुकाबले में मक्का का तीन हज़ार अनुभवी सैनिक दल सर पर पैर रख कर भागा।

विजय : पराजय के आवरण में

मुसलमानों ने उन का पीछा करना आरम्भ किया। यह देख कर दर्रे की सुरक्षा पर नियुक्त सैनिकों ने अपने अफ़सर से कहा कि अब तो शत्रु पराजित हो चुका है, अब हमें भी जिहाद का पुण्य प्राप्त करने दिया जाए। अफ़सर ने उन्हें इस बात से रोका तथा रसूले करीम (स.अ.व.) का आदेश स्मरण कराया परन्तु उन्होंने कहा — रसूले करीम (स.अ.व.) ने जो कुछ फ़रमाया था केवल ज़ोर देने के लिए फ़रमाया था अन्यथा आप का अभिप्राय यह तो नहीं हो सकता था कि शत्रु भाग भी जाए तो भी यहां खड़े रहो। यह कहते हुए उन्होंने दर्रा छोड़ दिया और रणभूमि में कूद पड़े। भागती हुई सेना में से ख़ालिद बिन वलीद जो बाद में इस्लाम के महान सेनापति सिद्ध हुए की दृष्टि ख़ाली दर्रे पर पड़ी जहां केवल कुछ सैनिक अपने अफ़सर के साथ खड़े थे। ख़ालिद ने अपनी (काफ़िरों की) सेना के अन्य सेनापति उमर बिन अलआस को आवाज़ दी और कहा कि पीछे पहाड़ी दर्रे पर तनिक दृष्टि डालो। उमर बिन अलआस ने जब दर्रे पर दृष्टि डाली तो समझा कि मुझे जीवन का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। दोनों सेनापतियों ने अपनी भागती हुई सेना को संभाला और इस्लामी सेना को भारी क्षति पहुँचाते हुए

पर्वत पर चढ़ गए, वहां दर्रे की सुरक्षा के लिए थोड़े से मुसलमान खड़े रह गए थे, उनको टुकड़े-टुकड़े करते हुए पीछे से इस्लामी सेना पर टूट पड़े। उनके विजय-नाद को सुनकर शत्रु की भागती सेना रणभूमि की ओर लौट पड़ी। यह आक्रमण ऐसा अचानक हुआ तथा काफ़िरों का पीछा करने के कारण मुसलमान इतने बिखर गए कि उन लोगों के मुक़ाबले में कोई समुचित इस्लामी सेना नहीं थी। रणभूमि में अकेला-अकेला सैनिक दिखाई दे रहा था, जिन में से कुछ को उन लोगों ने मार दिया, शेष इस असमंजस में थे कि यह हो क्या गया है पीछे की ओर दौड़े। कुछ सहाबा दौड़ कर रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के चारों ओर एकत्र हो गए जिनकी संख्या अधिक से अधिक तीस थी[1]। काफ़िरों ने उस स्थान पर भयंकर आक्रमण किया जहां रसूले करीम (स.अ.व.) खड़े थे। सहाबा एक के बाद एक आप[स.] की रक्षा करते हुए मारे जाने लगे। कृपाणधारियों के अतिरिक्त धनुषधारी ऊँचे टीलों पर खड़े होकर रसूले करीम (स.अ.व.) की ओर अंधाधुंध वाण-वर्षा कर रहे थे। उस समय तल्हा[रज़ि.] ने जो क़ुरैश में से थे तथा मक्का के मुहाजिरों में से थे, यह देखते हुए कि शत्रु सब के सब तीर रसूले करीम (स.अ.व.) के मुख की ओर फेंक रहा है अपना हाथ रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के मुख के आगे खड़ा कर दिया। वाण-वर्षा में जो तीर लक्ष्य पर गिरता था वह 'तल्हा[रज़ि.]' के हाथ पर गिरता था, परन्तु प्राणों की बाज़ी लगाने वाला वफ़ादार सिपाही अपने हाथ को कोई हरकत नहीं देता था। इस प्रकार तीर पड़ते गए और तल्हा[रज़ि.] का हाथ घावों से छलनी हो कर बिल्कुल बेकार हो गया और उनका एक ही हाथ शेष रह गया। वर्षों पश्चात् इस्लाम की चौथी ख़िलाफ़त के युग में जब मुसलमानों में गृह-युद्ध आरम्भ हुआ तो किसी शत्रु ने व्यंग के तौर पर तल्हा को टुण्डा कहा। इस पर एक अन्य सहाबी ने कहा— हाँ टुण्डा ही है परन्तु कैसा मुबारक टुण्डा है। तुम्हें ज्ञात है तल्हा का यह हाथ रसूले करीम (स.अ.व.) के मुख की रक्षा में टुण्डा हुआ था। उहद के युद्धोपरान्त किसी व्यक्ति ने तल्हा[रज़ि.] से पूछा कि जब वाण हाथ पर लगते थे तो क्या आप को दर्द नहीं होता था और क्या आप के मुख से उफ़ नहीं निकलती थी? तल्हा[रज़ि.] ने उत्तर दिया— दर्द भी होता था और उफ़ भी निकलना चाहती थी परन्तु मैं उफ़ करता नहीं था ताकि ऐसा न हो कि उफ़ करते समय मेरा हाथ हिल जाए और तीर रसूले करीम (स.अ.व.) के मुख पर आ लगे।

परन्तु ये कुछ लोग इतनी विशाल सेना का कब तक मुक़ाबला कर सकते थे क़ाफ़िरों की सेना का एक गिरोह आगे बढ़ा और उस ने रसूले करीम (स.अ.व.) के पास के जवानों को धकेला कर पीछे कर दिया। रसूले करीम (स.अ.व.) वहां अकेले पर्वत की भांति खड़े थे कि बड़े ज़ोर से एक पत्थर आप के ख़ोद (Security Cap लोहे की टोपी) पर लगा ख़ोद की कील आप के सर पर घुस गई और आप बेहोश होकर उन सहाबा[रज़ि.] के शवों पर जा पड़े जो आप के चारों ओर लड़ते हुए शहीद हो चुके थे[1]। तत्पश्चात् कुछ अन्य सहाबा[रज़ि.] आप के शरीर की रक्षा करते हुए शहीद हुए और उनके शव आप के शरीर पर जा गिरे। काफ़िरों ने आप के शरीर को शवों के नीचे दबा हुआ देख कर समझा कि आप मारे जा चुके हैं। अतः मक्का की सेना स्वयं को पुनर्गठन के उद्देश्य से पीछे हट गई। जो सहाबा आप के पास खड़े थे और जिन्हें काफ़िरों की सेना का रेला ढकेल कर पीछे ले गया था उनमें हज़रत उमर[रज़ि.] भी थे। जब आप ने देखा कि रणभूमि समस्त लड़ने वालों से साफ हो चुकी है तो आप को विश्वास हो गया कि रसूले करीम (स.अ.व.) शहीद हो गए हैं और वह व्यक्ति जिस ने बाद में एक ही समय में क़ैसर तथा किस्रा का मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया था और उस का हृदय कभी नहीं घबराया और न भयभीत हुआ था। शेष ..

पृष्ठ 1 का शेष

इस पर आपने फ़रमाया:

"तुम्हारे प्राण और तुम्हारी संपत्तियाँ (रावी को याद नहीं कि आपने सम्मान-प्रतिष्ठा का भी उल्लेख किया था या नहीं) उसी प्रकार सम्मान और पवित्रता के अधिकारी हैं, जिस प्रकार यह दिन, यह महीना और यह नगर सम्मान और पवित्रता वाले हैं। अर्थात् जिस प्रकार तुम इनके अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसी प्रकार लोगों के प्राणों, उनकी संपत्तियों और उनकी प्रतिष्ठा का अपमान करना भी अनुचित और अवैध है।"

फिर आपने पूछा:

"क्या मैंने यह महत्वपूर्ण संदेश पहुँचा दिया है?"

लोगों ने निवेदन किया, "हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सब कुछ पहुँचा दिया है।"

तब आपने फ़रमाया:

"जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, वे इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुँचा दें जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं।"

★ ★ ★

पृष्ठ 1 का शेष

और प्राचीन काल से ख़ुदा तआला की यही रीति रही है कि जब नबी अलैहिमुस्सलाम लोगों के मार्गदर्शन के लिए ख़ुदा तआला का कथन लेकर आते हैं, तो अपने कर्म द्वारा, अर्थात व्यावहारिक रूप में, उस कथन की व्याख्या भी कर देते हैं, ताकि उस कथन को समझने में लोगों को कोई भ्रम न रहे। वे स्वयं भी उस पर अमल करते हैं और दूसरों से भी अमल करवाते हैं।

(3) तीसरा मार्गदर्शन का साधन हदीस है। और हदीस से हमारा अभिप्राय उन वर्णनों से है जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद विभिन्न रावियों के माध्यम से कथाओं के रूप में एकत्र किए गए।

अतः सुन्नत और हदीस में अंतर यह है कि सुन्नत एक व्यावहारिक पद्धति है जो अपने साथ निरंतर परम्परा रखती है, जिसे आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने स्वयं जारी किया था, और वह निश्चितता के स्तर में क़ुरआन-ए-करीम के बाद दूसरे स्थान पर है।

और जिस प्रकार आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम क़ुरआन-ए-करीम के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए थे, उसी प्रकार सुन्नत की स्थापना के लिए भी नियुक्त किए गए थे।"

(रिव्यू बर मुबाहिसा बटालवी व चकड़ालवी, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 19, पृष्ठ 209-212)

★ ★ ★

पृष्ठ 1 का शेष

स्वयं कायम रहे और दूसरों को उसकी प्रेरणा दी, जबकि हदीस वह कथन है जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने बयान किया।

अब देखो, इन पाँच सिद्धांतों के माध्यम से आपने कितना बड़ा सुधार कर दिया है। सबसे पहले स्थान पर आपने क़ुरआन-ए-करीम को रखा, क्योंकि वह ख़ुदा तआला का कलाम है, विस्तृत है, पूर्ण है। उसमें न कोई परिवर्तन होगा, न हुआ है और न कोई परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा का वचन दिया गया है। ऐसे कलाम से बढ़कर और कौन-सी बात विश्वसनीय हो सकती है?

इसके बाद सुन्नत है, क्योंकि उसका सम्बन्ध केवल कथन से नहीं बल्कि कर्म से है, और वह कर्म भी ऐसा जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम स्वयं किया करते थे और निरन्तर करते थे। हज़ारों लोग उसे देखते थे और उसका अनुसरण करते थे। यह बात ऐसी नहीं कि केवल एक, दो या तीन व्यक्तियों की गवाही हो कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को ऐसा कहते हुए सुना, बल्कि हज़ारों मनुष्यों का यह व्यावहारिक प्रमाण हो कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को इस प्रकार करते हुए देखा और आपकी पैरवी में हमने भी वही कार्य आरम्भ किया।

इस प्रकार की सुन्नत में त्रुटि की संभावना बहुत कम रह जाती है और यह उन हदीसों से, जो कुछ व्यक्तियों की गवाही पर आधारित होती हैं, कहीं अधिक श्रेष्ठ है।

इसके बाद आपने हदीस को स्थान दिया, किन्तु उनके सम्बन्ध में यह शर्त भी लगा दी कि केवल रावियों की जाँच और उनकी सत्यनिष्ठा ही उनके सही होने की पहचान नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वे क़ुरआन-ए-करीम, सुन्नत और प्रकृति के नियम के अनुरूप हों।"

(हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे, अनवारुल उलूम, जिल्द 10, पृष्ठ 178 से 179)

★ ★ ★

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.akhbarbadr.in

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553
Weekly **BADAR** Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
POSTAL REG. No.GDP 45/ 2026-2028 Vol. 11 Thursday 25 June 2026 Issue No. 26

Act. MANAGER :
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mobile : +91-9815639670
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com
www.alislam.org/badr

सीरतुल-महदी

(लेखक: हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एम.ए रज़ियल्लाहु अन्हु)

बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम

{65}ख़ाकसार निवेदन करता है कि जब हम बच्चे थे तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम चाहे कोई काम कर रहे हों या किसी और अवस्था में हों, हम आपके पास चले जाते थे और कहते थे, "अब्बा, पैसा दीजिए।" तब आप अपने रूमाल से पैसा खोलकर दे देते थे। यदि कभी हम किसी बात पर अधिक ज़िद करते थे तो आप फ़रमाते थे, "मियाँ! मैं इस समय काम कर रहा हूँ, अधिक तंग न करो।"

ख़ाकसार निवेदन करता है कि आप सामान्य नक़दी आदि अपने एक बड़े आकार के मलमल के रूमाल में बाँध लिया करते थे। रूमाल का दूसरा सिरा वास्कट के साथ सिलवा लेते थे या बटन के छेद में बँधवा लेते थे। और चाबियाँ इज़ारबंद के साथ बाँधते थे, जो भार के कारण कभी-कभी नीचे लटक आता था।

और वालिदा साहिबा बयान करती थीं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सामान्यतः रेशमी इज़ारबंद प्रयोग करते थे, क्योंकि आपको बार-बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता था। इसलिए रेशमी इज़ारबंद रखते थे ताकि उसे खोलने में आसानी हो और यदि गाँठ पड़ जाए तो उसे खोलने में भी कठिनाई न हो। सूती इज़ारबंद में कभी-कभी गाँठ पड़ जाती थी, जिससे आपको बहुत कष्ट होता था।

{66}बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम।

मुझसे हज़रत वालिदा साहिबा ने बयान किया कि एक बार तुम्हारे दादा की जीवितावस्था में हज़रत साहिब को तपेदिक (सिल) हो गया था और आप छह महीने तक बीमार रहे। आपकी अवस्था बहुत नाज़ुक हो गई थी, यहाँ तक कि जीवन की आशा भी नहीं रही थी।

एक बार हज़रत साहिब के चाचा आपके पास आकर बैठे और कहने लगे कि संसार का यही नियम है, सबको मरना है; कोई पहले चला जाता है और कोई बाद में। इसलिए इस पर घबराना नहीं चाहिए।

वालिदा साहिबा ने बताया कि तुम्हारे दादा स्वयं हज़रत साहिब का उपचार करते थे और लगातार छह महीने तक आपको बकरे के पायों का शोरबा पिलाते रहे थे।

ख़ाकसार निवेदन करता है कि यहाँ "चाचा" से अभिप्राय मिर्ज़ा ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहिब हैं।

{67}बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम।

हमारी फूफी साहिबा, अर्थात् मिर्ज़ा इमामुद्दीन की बहन, जो हमारी ताई की छोटी बहन थीं और मिर्ज़ा अहमद बेग होशियारपुरी की विधवा थीं, उन्होंने मुझसे बयान किया कि एक बार हमारे वालिद और ताया को सिखों ने बसरावाँ के क़िले में बंद कर दिया था और उन्हें मार डालने का इरादा रखते थे।

ख़ाकसार निवेदन करता है कि यह सम्भवतः सिख शासन के अंतिम काल की घटना है, जब राजा रणजीत सिंह के बाद देश में पुनः अशांति फैल गई थी। उस समय सुना जाता है कि हमारे दादा और उनके भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहिब को सिखों ने क़िले में बंद कर दिया था। फिर जब उनके छोटे भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम हैदर को इसका समाचार मिला तो वे लाहौर से सहायता लेकर आए और उन्हें छुड़वाया।

ख़ाकसार निवेदन करता है कि बसरावाँ, क़ादियान से लगभग ढाई मील पूर्व दिशा में स्थित एक गाँव है। उस समय वहाँ एक कच्चा क़िला था जो अब नष्ट हो चुका है, यद्यपि उसके कुछ अवशेष अब भी मौजूद हैं।

{68}बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम।

मुझसे हज़रत वालिदा साहिबा ने बयान किया कि जब मैं छोटी लड़की थी तो मीर साहिब (अर्थात् ख़ाकसार के नाना जान) का तबादला एक बार क़ादियान भी हुआ था। हम वहाँ छह-सात महीने रहे। फिर वहाँ से मीर साहिब का दूसरी जगह तबादला हो गया। तब वे तुम्हारे ताया से बात करके हमें उनके घर में छोड़ गए और लगभग एक महीने बाद वापस आकर हमें ले गए।

उस समय तुम्हारे ताया क़ादियान से बाहर रहते थे और आठ दिन बाद यहाँ आया करते थे। मुझे याद पड़ता है कि मैंने उन्हें देखा था।

ख़ाकसार ने पूछा कि क्या उन दिनों आपने हज़रत साहिब को भी देखा था या नहीं?

वालिदा साहिबा ने उत्तर दिया कि हज़रत साहिब उसी घर में रहते तो थे, परन्तु मैंने उन्हें नहीं देखा। फिर उन्होंने मुझे वह कमरा भी दिखाया जिसमें उन दिनों हज़रत साहिब रहा करते थे। आजकल वह कमरा मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहिब के अधिकार में है।

ख़ाकसार निवेदन करता है कि हज़रत साहिब प्रारम्भ से ही एकांतप्रिय थे, इसलिए वालिदा साहिबा को उन्हें देखने का अवसर नहीं मिला होगा।

ख़ाकसार ने पूछा कि यह घटना कब की है?

वालिदा साहिबा ने कहा कि मुझे तिथि तो याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि जब हम क़ादियान आए थे तो उन दिनों तुम्हारे दादा की मृत्यु की पहली बरसी मनाई गई थी।

ख़ाकसार निवेदन करता है कि इस हिसाब से यह समय 1877 ईस्वी का बनता है। उस समय वालिदा साहिबा की आयु लगभग नौ-दस वर्ष रही होगी और हज़रत साहिब की आयु सम्भवतः चालीस वर्ष से अधिक थी।

(ख़ाकसार निवेदन करता है कि इस पुस्तक के दूसरे संस्करण की तैयारी के समय वह कमरा, जिसमें उन दिनों हज़रत साहिब रहते थे, एक अन्य कमरे के बदले हमारे पास आ गया है। यह वही चौबारा है जो हज़रत वालिदा साहिबा के वर्तमान रसोईघर के आँगन के साथ, स्वर्गीय मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहिब के मकान से मिला हुआ है।)

{69}बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम।

मुझसे हज़रत वालिदा साहिबा ने बयान किया कि मेरी शादी से पहले हज़रत साहिब को यह ज्ञात हो गया था कि आपकी दूसरी शादी दिल्ली में होगी।

चुनाँचे आपने मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी के सामने इसका उल्लेख किया। उस समय उनके पास अहले-हदीस परिवारों की लड़कियों की सूची रहती थी। मीर साहिब भी अहले-हदीस थे और उनसे गहरे संबंध रखते थे। इसलिए उन्होंने हज़रत साहिब के सामने मीर साहिब का नाम प्रस्तुत किया।

आपने मीर साहिब को पत्र लिखा। प्रारम्भ में मीर साहिब ने आयु के अंतर के कारण इस प्रस्ताव को पसंद नहीं किया, किन्तु अंततः वे सहमत हो गए। इसके बाद हज़रत साहिब मुझसे विवाह करने के लिए दिल्ली गए।

आपके साथ शैख़ हामिद अली और लाला मुलावमल भी थे। निकाह मौलवी नज़ीर हुसैन ने पढ़ाया था।

यह घटना 27 मुहर्रम 1302 हिजरी, सोमवार के दिन की है। उस समय मेरी आयु अठारह वर्ष थी।

हज़रत साहिब ने निकाह के बाद मौलवी नज़ीर हुसैन को पाँच रुपये और एक मुसल्ला भेंटस्वरूप दिया था।

ख़ाकसार निवेदन करता है कि उस समय हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आयु लगभग पचास वर्ष रही होगी।

वालिदा साहिबा ने कहा कि तुम्हारे ताया मेरे निकाह से लगभग डेढ़-दो वर्ष पहले ही देहांत कर चुके थे।

ख़ाकसार निवेदन करता है कि ताया साहिब का देहांत 1883 ईस्वी में हुआ था, जो बराहीन के लेखन का अंतिम काल था, जबकि वालिदा साहिबा का विवाह नवंबर 1884 ईस्वी में हुआ था।

और मुझे वालिदा साहिबा से यह भी ज्ञात हुआ है कि पहले विवाह का दिन रविवार निर्धारित किया गया था, किन्तु हज़रत साहिब ने कहकर उसे सोमवार करवा दिया था।

शेष ..

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad